भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
नई दिल्ली

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा

भाग- I

(नियम और शर्तें तथा तकनीकी विवरण)

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
नई दिल्ली

खंड I: निविदा की समय-सारणी शेड्यूल (एसओटी)

ई-निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

क्रम स.	मद	विवरण
1.	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/1/25-26/ईटी/139
2.	निविदा जारी करने वाला प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, नई दिल्ली फोन नंबर: 011-23353075 ईमेल आईडी: gpcnewdelhi@rbi.org.in
3.	कार्य का नाम	आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा
4.	स्थान	जैसा कि कार्य के दायरे (अनुभाग IV(क)) में विस्तार से बताया गया है
5.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (भाग I - टेक्नो-कमर्शियल बिड और भाग II - प्राइस बिड) निविदा केवल एमएसटीसी लिमिटेड (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) के ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
6.	निविदा की अनुमानित लागत (कर सहित)	जीएसटी सहित कुल कीमत ₹ 12.23 लाख (केवल बारह लाख तेईस हजार रुपये)
7.	वह तिथि जब एनआईटी पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	29 मई, 2025, अपराह्न 06:00 बजे से
8.	बयाना राशि (ईएमडी)	**शून्य**
9.	https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ई-निविदा (टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड) को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	30 मई, 2025, अपराह्न 02:00 बजे से

10.	ई-निविदा (टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड) को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बंद होने की तारीख	13 जून, 2025, अपराह्न 03:00 बजे

11.	(भाग-1 यानी, टेक्नो-कमर्शियल बिड) को खोलने की तारीख और समय	13 जून, 2025, अपराह्न 04:00 बजे
12.	भाग -II यानी प्राइस बिड के खुलने की तारीख और समय	इसे बाद की तारीख में खोला जाएगा और योग्य बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी (बोली लगाने वाले इच्छुक प्रतिनिधि की उपस्थिति में)।
13.	निविदा की वैधता	निविदा खोलने की तारीख से पैंतालीस (45) दिन, यानी निविदा का भाग। (टेक्नो-कमर्शियल बोली)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, नई दिल्ली ने इस दस्तावेज़ को इच्छुक पार्टियों को काम से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे संबंधित किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते हैं, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित।

यहां दी गई जानकारी को संपूर्ण न समझा जाए। इच्छुक पक्ष स्वयं पूछताछ कर सकते हैं। इस ई-निविदा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्वयं पूछताछ करनी चाहिए और उन्हें केवल ई-निविदा दस्तावेज़ों/फॉर्म में दी गई जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिभागी उचित जांच-पड़ताल नहीं करते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

यह जानकारी इस शर्त पर दी जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, या उनके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वह प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाए, या प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करे, इस दस्तावेज़ में दिए गए टाइमटेबल में परिवर्तन करे या लागू की जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव करे। इसके अलावा, वह किसी भी इच्छुक पक्ष से इस विषय पर आगे चर्चा करने से मना करने का भी अधिकार रखता है। रुचि दिखाने वाले व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार का खर्च वापस नहीं दिया जाएगा।

ई-निविदा के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कंट्रैक्टर एमएसटीसी लिमिटेड है।

कृपया अपना ऑनलाइन निविदा सबमिट करने से पहले निविदा नोटिस और उसके बाद जारी किए गए कोई भी संशोधन ध्यान से पढ़ें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) रजिस्ट्रेशन: इस प्रक्रिया में वेंडर को एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वेंडर अपनी बिड इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर और एन्क्रिप्शन वाला डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से कनेक्टेड पीसी से बिडिंग के लिए खुद व्यवस्था करनी होगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (बिड में डिजिटल सिग्नेचर न होने पर वह मान्य नहीं होगी)।

विशेष ध्यान दें: प्राइस बिड और कॉमर्शियल बिड केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्शन 3) पर ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

1) वेंडरों को https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
वेंडर के रूप में रजिस्टर करें - विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं। सबमिट करें।
अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/रजिस्ट्रेशन पर जाएं।
वेंडर को उनके ईमेल पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया एक कन्फर्मेशन मेल मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया था। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/RBI से संपर्क करें।

संपर्क विवरण:

क) एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क:

फ़ोन नंबर: 07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया सब्जेक्ट में "एच ओ हेल्पडेस्क" लिखें)

उपलब्धता: सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सभी तकनीकी समस्याओं, ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए।

ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी **लिमिटेड**):
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय:

श्री सेतु दत्त शर्मा, सीनियर मैनेजर,

मोबाइल नंबर: 7878055855

nroopn3@mstcindia.in

पता	मेल आईडी	संपर्क
30/31ए जीवन विकास बिल्डिंग, प्रथम तल, आसफ अली रोड (हमदर्द के सामने), नई दिल्ली - 110 002	mstcnro@mstcindia.in	(011) 23212357, (011) 23215163, (011) 23217850

ग) संपर्क व्यक्ति, आरबीआई, नई दिल्ली

i. श्री संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक,
संपर्क नंबर: 011-23353075
ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in

ii. श्री जयंत श्रीधर,
संपर्क नंबर: 011-23452265
ईमेल: estatenewdelhi@rbi.org.in

एप्लीकेशन प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका-

1.सिस्टम आवश्यकताएं:
विवरण के लिए, वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकते हैं।

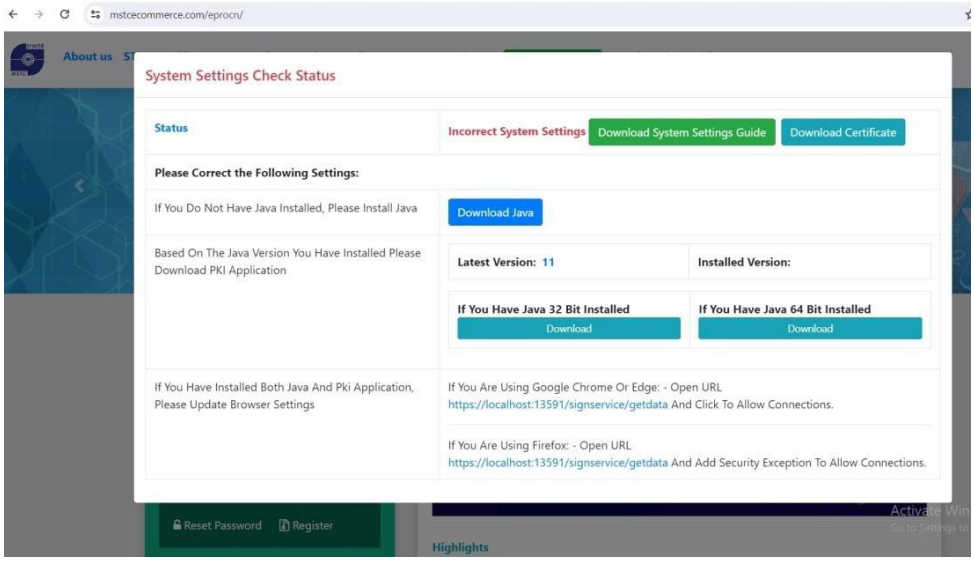

2. लेनदेन शुल्क के बारे में विशेष नोट:
वेंडर को एमएसटीसी को ट्रांज़ैक्शन फीस का भुगतान "बिड फ्लोर" में संबंधित निविदा के लिए "ट्रांज़ैक्शन फीस पेमेंट" लिंक या "इवेंट कैटलॉग" में "पे ट्रांज़ैक्शन फीस" के ज़रिए अपने लॉगिन से करना होगा। बिडर/सर्विस प्रोवाइडर/कंट्रैक्टर/वेंडर एनईएफटी या ऑनलाइन पेमेंट, दोनों तरीकों से भुगतान कर सकते हैं। एनईएफटी चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/कंट्रैक्टर/वेंडर को एक फॉर्म भरकर चालान जेनरेट करना होगा।

सर्विस प्रोवाइडर/कंट्रैक्टर/वेंडर को चालान पर दिए गए विवरण के अनुसार बिना किसी बदलाव के ट्रांज़ैक्शन फीस का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/कंट्रैक्टर/वेंडर अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। जैसे ही भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाएगा, ट्रांज़ैक्शन फीस अपने आप मंज़ूर हो जाएगी।
ट्रांज़ैक्शन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ट्रांज़ैक्शन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच नहीं मिलेगी।

नोट: बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें, ताकि वे बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय पा सकें।

3. एमएसटीसी लिमिटेड में वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय, वेंडरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी दी गई कॉर्पोरेट ईमेल-आईडी वैध और अपडेटेड हो। साथ ही, वेंडरों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता की भी पुष्टि कर लें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

5. ई-निविदा में बोली लगाना:

नोट: वेंडर को डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए "माई मेनू" में "अपलोड डॉक्यूमेंट्स" लिंक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। एक ही बार में कई डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 5 एमबी है।
एक बार डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर संबंधित ई-निविदा के लिए "डॉक्यूमेंट अटैच करें" लिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि डॉक्यूमेंट किसी ई-निविदा से अटैच नहीं किए गए हैं, तो आरबीआई उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए, कृपया वेंडर गाइड में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
क) बिड देने वालों को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी (यदि कोई हो), ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और ट्रांजैक्शन शुल्क अलग-अलग जमा करना होगा। ट्रांजैक्शन शुल्क, यदि कोई हो, तो वह वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल रहने वाले बिड देने वालों का ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
ख) इस प्रक्रिया में टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।
जो बोलीदाता उपरोक्त शुल्क जमा कर चुके हैं, वे ही एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → सेकेक्शन ऑफ द लाइव इवेंट → ट्रांजैक्शन फी → कॉमन टर्म्स → अटैच डॉक्यूमेंट → प्राइस बिड पर इंटरनेट के माध्यम से अपना टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें: ट्रांज़ैक्शन फीस और ईएमडी विवरण (यदि कोई हो) का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, वेंडर को अपने लॉगिन में "अटैच डॉक्यूमेंट्स" और "कॉमन टर्म्स" टैब उपलब्ध हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, वेंडर को पोर्टल के माध्यम से लॉट से संबंधित टर्म्स सेव करने और लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड सबमिट करने की अनुमति होगी, या वे प्राइस बिड सबमिट करने के लिए एक्सेल फ़ाइल

डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे, जैसा भी मामला हो। यदि "अटैच डॉक्यूमेंट्स" और/या "कॉमन टर्म्स" सेव करने का चरण सफल नहीं होता है, तो लॉट से संबंधित टर्म्स सेव करने और प्राइस बिड सबमिट करने के टैब डिसेबल हो जाएंगे। यह स्टेटस कि यह सफल/पेंडिंग है, बिड स्टेटस बटन पर दिखाया जाएगा।

ग) सबसे पहले वेंडर को, अगर कोई हो, तो कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बिड भरनी होगी। टेक्नो-कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड को रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, "प्राइस बिड" लिंक एक्टिव हो जाएगा और इसे भी भरना होगा। फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड को रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। जब टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बिड डिलीट करें" का विकल्प दिखाई देगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बिड को डिलीट करना चाहता है और फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बिड डिलीट करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर से सबमिट करना होगा और अंत में पुनः अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

घ) सभी मामलों में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली जमा करते समय अपना आईडी, पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना चाहिए।

ङ) पूरे ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे और अन्य सभी लोगों के लिए पूरी तरह से अनजान रहेंगे।

च) ई-निविदा पोर्टल पहले से घोषित तारीख और समय से खुला रहेगा और यह उतनी ही अवधि के लिए खुला रहेगा, जितनी ऊपर बताई गई है।

छ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड, बिड देने वाले के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। कोई भी बिड उस बिड देने वाले द्वारा दी गई वैध बिड मानी जाएगी और खरीदार द्वारा इसे स्वीकार करने पर, आपूर्ति/काम को पूरा करने के लिए खरीदार और बिड देने वाले के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल बिड देने वाले को आगे चलकर आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

ज) यह अनिवार्य है कि सभी बिड क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।

झ) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या उसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

ञ) ई-निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई-निविदा पोर्टल पर बोली जमा करके कोई भी बोलीदाता ई-निविदा की शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है।

ट) मापन की इकाई (यूओएम) ई-निविदा पोर्टल पर दी गई है। कोटेशन में दर भारतीय रुपये में होनी चाहिए, जैसा कि ई-निविदा पोर्टल/निविदा दस्तावेज़ में यूओएम में बताया गया है।

खंडों का विवरण

विवरण		**खंड सं.**	**पृष्ठ सं.**
निविदा का फॉर्म	:	खंड 1	12-13
करार की शर्तें	:	खंड 2	14-16
निविदाकर्ता के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें **(केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ा जाए)**	:	खंड 3	17-22
सुरक्षा कोड	:	खंड 4	23
इसके बाद उल्लिखित शर्तें	:	खंड 5	24-40
यहां पहले उल्लिखित परिशिष्ट	:	खंड 6	41-42
कार्य का विस्तृत विवरण	:	खंड 7	43-45
सामग्री	:	खंड 8	46-48
अनुमोदित सामग्री की सूची	:	खंड 9	49
सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	:	खंड 10	50-52
निविदा भाग – II की प्रस्तावना	:	खंड 11	53
भाग-II (प्राइस बिड)	:	खंड 12	54-66

खंड - 1 निविदा
का फॉर्म

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक, **भारतीय**
रिज़र्व बैंक, **नई दिल्ली**

महोदय,
नीचे दिए गए मेमोरैंडम में बताए गए कार्यों से संबंधित स्पेसिफिकेशन और मात्रा के शेड्यूल को ध्यान से देखने के बाद, और उक्त मेमोरैंडम में बताए गए कार्यस्थल का निरीक्षण करने के बाद, तथा निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम इस बात की पेशकश करते हैं कि हम उक्त मेमोरैंडम में बताए गए कार्यों को, मेमोरैंडम में निर्धारित समय सीमा के भीतर, संलग्न मात्रा शेड्यूल में दिए गए दरों पर और संविदा के नियम, सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, व्यावसायिक शर्तें, निविदाकर्ताओं के लिए कार्यों का विस्तृत विवरण, मात्रा का शेड्यूल और संविदा की शर्तों के अनुसार, तथा लागू होने वाले सभी नियमों के अनुसार, निर्धारित सामग्री का उपयोग करके पूरा करेंगे।

मेमोरैंडम

क्रम सं.	**मद**	**मद का विवरण**
1	कार्य का वर्णन:	**आरबीआई कॉलोनी**, **रवींद्र नगर**, **नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन के नवीनीकरण के लिए ई-निविदा**
2	अनुमानित लागत:	**₹ 12.23** लाख
3	बयाना राशि:	शून्य
4	प्रतिशत, यदि कोई हो, प्रत्येक आर/ए बिल से काटा जाएगा:	प्रमाणित बिल राशि का 5% प्रतिधारण राशि के रूप में।
5	परफॉर्मेंस बैंक गारंटी	संविदा मूल्य का 5% (संलग्न प्रारूप के अनुसार)
6	कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय	औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 10वें दिन से **एक माह**
7.	परिनिर्धारित हर्जाना की दर	**₹ 305/-** प्रतिदिन, स्वीकृत निविदा राशि के अधिकतम 10% तक।

2. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि हम संविदा की शर्तों और प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम भारतीय रिज़र्व बैंक को उन शर्तों में उल्लिखित राशि का भुगतान करेंगे।
3. हम यह भी सहमत हैं कि हमारे निविदा की वैधता, निविदा के **<u>भाग-1</u>** की खुलने की तारीख से 45 दिनों तक रहेगी और यह वैधता अवधि बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से और बढ़ाई जा सकती है। हम यह भी सहमत हैं कि हम संविदा की शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी जमा करेंगे, जो निविदा की पूरी वैधता अवधि के लिए मान्य होगी।
4. इन स्पेसिफिकेशन की शर्तें हमारे लिए बाध्यकारी होंगी। जहाँ कहीं भी विशेष रूप से नियम लिखे गए हैं, वे सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन या संबंधित IS कोड से ऊपर होंगे और इन स्पेसिफिकेशन में दिए गए नियम ही लागू होंगे। बैंक इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में विशेष अनुमति के बिना कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हम सीपीडब्ल्यूडी रेट शेड्यूल और उनके स्पेसिफिकेशन, यानी सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन (वॉल्यूम-I और वॉल्यूम II), बीआईएस प्रकाशन और नेशनल बिल्डिंग कोड से अच्छी तरह परिचित हैं, जो इस संविदा में किसी भी छूटी हुई जानकारी/स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के क्रम में लागू होंगे।
5. हमारा बैंकर (पूरा पता):

(i)	
(ii)	

संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित टू कॉपी संलग्न की जानी चाहिए)	

भवदीय,

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर:
पता:
संपर्क नंबर:

गवाहों के हस्ताक्षर और पते:

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

खंड: 2
करार की शर्तें

एक पक्ष के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, के माध्यम से 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के रूप में.....

(जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा)

के बीच इस करार की शर्तें वर्ष.....के.....माह के.....दिन निष्पादित की गईं।

जबकि नियोक्ता "**आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली स्थित फ्लैट संख्या D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण**" करने का इच्छुक है और उसके पास नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले और तैयार किए जाने वाले कार्यों का विवरण देने वाले विनिर्देश हैं।

और जबकि उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों तथा संविदा की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन, उक्त विनिर्देश में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दर पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें निर्धारित राशि या उसके तहत देय होने वाली अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

अब इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि:

1. निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, तय समय और तरीके से संविदा राशि का भुगतान किए जाने पर, ठेकेदार उन शर्तों के अधीन, निर्दिष्ट विनिर्देशों और मात्रा तालिका में वर्णित कार्य को पूरा करेंगे।
2. नियोक्ता ठेकेदार को संविदा की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि, जो देय हो, निर्धारित शर्तों में उल्लिखित समय और तरीके से भुगतान करेगा।
3. भारतीय रिजर्व बैंक कार्यों का प्रबंधन करेगा, बिलों का प्रमाणीकरण करेगा, भुगतान करेगा और संविदा की विभिन्न शर्तों, नियमों और प्रावधानों को लागू करने के लिए सीधे निगरानी व्यवस्था करेगा।

इस उद्देश्य के लिए, काम के निष्पादन, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, काम की प्रगति और पूर्णता आदि से संबंधित शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ होगा सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ समप्र (टी) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति।

4. उपरोक्त शर्तें और उनके परिशिष्ट इस समझौते का हिस्सा माने जाएंगे और सभी पक्षकार इन शर्तों का पालन करेंगे और अपने-अपने दायित्वों को पूरा करेंगे।
5. यह कॉन्ट्रैक्ट न तो फिक्स्ड लम्पसम कॉन्ट्रैक्ट है और न ही पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि यह **आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन के नवीनीकरण** का पूरा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए भुगतान वास्तविक मापी गई मात्रा के आधार पर, दर सूची में दिए गए रेट और अनुमानित मात्रा के अनुसार या संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
6. ठेकेदार को सिविल कार्य और अन्य संबंधित कार्यों को निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और ऐसे कार्य पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी।
7. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह इस संविदा को प्रभावित किए बिना, काम की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, जैसे कि काम में कुछ आइटम जोड़ना या हटाना या उसका कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति से करवाना।
8. समय इस संविदा का मुख्य तत्व माना जाएगा और ठेकेदार इस बात से सहमत है कि कार्यस्थल उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के दसवें दिन (जो भी बाद में हो) से काम

शुरू करेगा और समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन **एक महीने** के भीतर पूरा काम समाप्त कर देगा।
9. इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल नई दिल्ली में ही किए जाएंगे।
10. इस समझौते से संबंधित या इससे किसी भी तरह जुड़े सभी विवादों को नई दिल्ली में उत्पन्न माना जाएगा और उन्हें तय करने का अधिकार केवल नई दिल्ली की अदालतों को होगा।
11. ठेकेदार बैंक परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ के खंड 5 के उप-खंड 38 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
12. ठेकेदार की गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी जिम्मेदारियां, किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्त होने के बाद भी बनी रहेंगी।
13. यह कि इस संविदा के सभी भाग ठेकेदार द्वारा पढ़ लिए गए हैं और ठेकेदार को उनकी पूरी जानकारी है। बैंक की सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित विशिष्ट निर्देशों के बिना, ठेकेदार को निविदा में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा के लिए भुगतान का अधिकार नहीं होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता और ठेकेदार ने इन विलेखों और इनकी दो प्रतियों पर ऊपर पहले लिखे गए दिन और वर्ष में अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।	यदि ठेकेदार साझेदारी या व्यक्ति है।
जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन विलेखों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी सामान्य मुहर लगवा दी है तथा उक्त प्रति/इन विलेखों और इनकी उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित करवा लिया है।	यदि ठेकेदार कोई कंपनी है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया
श्री

*(*नाम एवं पदनाम)
की उपस्थिति में
(1)

पता

(2)
पता
गवाह:

की उपस्थिति में
हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया
(1)
पता

(2)
पता
गवाह

यदि पार्टी साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति है तो सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

इसके निदेशक मंडल द्वारा दिनांक ..... की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में..... की सामान्य मुहर लगाई गई।

(1)

(2)

निदेशकों ने, जिनकी उपस्थिति में, इन विलेखों पर हस्ताक्षर किए हैं
(1)

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सीलिंग क्लॉज के साथ मेल खाना चाहिए।

(2)

ठेकेदार द्वारा श्री.....के माध्यम से विधिवत् गठित अटॉर्नी के हस्ताक्षर के साथ सुपुर्द किया गया।

यदि ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

खंड 3

बोलीकर्ताओं/ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)

(यह केवल ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित है)

1. निविदा 13 जून 2025 को 15.00 बजे तक ई- निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए। टेलीग्राफ, फैक्स और ईमेल के माध्यम से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. बैंक **13 जून 2025 को 15.00** बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी निविदा स्वीकार नहीं करेगा।

3. सभी जानकारी और पत्र-व्यवहार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, 6, संसद मार्ग, संपदा विभाग, नई दिल्ली को भेजे जाएँगे।

4. पार्ट-I और पार्ट-II निविदा में कोई अन्य संलग्नक स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्ट-I और पार्ट-II निविदा में शर्तों में कोई बदलाव या तकनीकी विसंगतियां होने पर उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा और वे शून्य मानी जाएंगी।

5. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. उद्धृत दरें **निविदा के भाग-II** के आधार पर होंगी और संविदा पूरा होने तक किसी भी परिस्थिति में उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

7. यदि किसी भी आइटम के लिए, दर और राशि बिल ऑफ़ क्वांटिटी से मेल नहीं खाते हैं, तो केवल कोट किए गए दरों के आधार पर निकाली गई राशि को ही मान्य माना जाएगा।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक बाध्य नहीं है कि वह सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करे और उसे यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। बैंक को यह भी अधिकार है कि वह निविदा को निविदा देने वाले द्वारा बताई गई कीमत पर पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है।

9. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती, वह अपनी निविदा जमा करने से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी खर्च, शुल्क, नुकसान या व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा में बदलाव करने या उसे वापस लेने का निर्णय ले।

10.परफॉर्मेंस बैंक गारंटी

सफल निविदाकर्ता को कार्य सौंपे जाने के 14 दिनों के भीतर खंड 10 में दिए गए प्रोफार्मा में अनुसूचित बैंक से संविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

11. संविदा अवधि के दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट:

ठेकेदार द्वारा संविदा के उचित पालन की सुरक्षा के लिए, नियोक्ता हर भुगतान से 5% राशि रिटेंशन राशि के रूप में काटेगा। रिटेंशन राशि और बयाना राशि को मिलाकर कुल राशि को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाएगा। काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, नियोक्ता ठेकेदार को 100% बयाना राशि (यदि कोई हो) देगा और बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट (यानी रिटेंशन राशि) डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दौरान पाए गए कमियों को ठीक करने के बाद जारी किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

12. इस संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजा या अन्य धनराशि सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी जा सकती है, बशर्ते कि राशि इतनी हो, और यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान किसी अन्य तरीके से नहीं किया गया है, तो ठेकेदार को कटौती की तारीख के दस दिनों के भीतर काटी गई राशि नकद में वापस देनी होगी।

13. ठेकेदार संविदा को किसी और को नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सब-लीज पर नहीं दे सकता। यदि ये शर्तें तोड़ी जाती हैं, तो नियोक्ता बैंक के उप महाप्रबंधक (संपदा विभाग-इंचार्ज) को ठेकेदार को लिखित नोटिस भेजकर संविदा रद्द कर सकता है, और ऐसे में सिक्योरिटी जमा राशि नियोक्ता को वापस नहीं की जाएगी।

14. ठेकेदार को सभी काम निविदा दस्तावेजों में दिए गए विवरण और बैंक इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार ही करना होगा।

15. प्रत्येक कार्य और विशिष्टताओं के लिए संभावित मात्रा का एक शेड्यूल इन विशेष शर्तों के साथ दिया गया है। संभावित मात्रा के इस शेड्यूल में बैंक की इच्छा के अनुसार कमी, कटौती या बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि काम के प्रत्येक आइटम की कीमत भी एक अलग कॉलम में लिखी होनी चाहिए और सभी आइटम का कुल योग करके पूरे निविदा का कुल मूल्य दिखाया जाना चाहिए।

16. निविदा देने वाले को अपनी जिम्मेदारी और अपने खर्च पर निविदा देने और संविदा करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी खुद प्राप्त करनी होगी। साथ ही उसे काम की जगह का निरीक्षण करना होगा और वहां की सभी परिस्थितियों, काम तक पहुँचने के तरीकों, काम की प्रकृति और उससे संबंधित सभी बातों के बारे में जानकारी लेनी होगी।

17. निविदा में दिए गए रेट में काम शुरू करने से पहले और पूरा होने के बाद कार्यस्थल की सफाई, पानी का खर्च, बिजली का खर्च, मीटर, सेंटरिंग, स्टेजिंग, बाड़ लगाना, प्लांट और उपकरण, भंडारण शेड, रात और दिन (रविवार और छुट्टियों सहित) में सुरक्षा और रोशनी, अस्थायी प्लंबिंग और बिजली आपूर्ति, आम जनता की सुरक्षा और आस-पास की सड़कों, फुटपाथ, दीवारों, घरों, इमारतों और अन्य सभी संरचनाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी शुल्क शामिल होंगे। ठेकेदार को आवश्यकतानुसार या बैंक के निर्देश पर सभी सेंटरिंग, स्कैफोल्डिंग और स्टेजिंग आदि को हटाना होगा और काम के दौरान खराब हुई सभी चीज़ों को बैंक संतुष्टि तक ठीक करना होगा।

18. दिए गए रेट कार्यस्थल पर काम पूरा होने के बाद मापे गए काम के आधार पर माने जाएंगे। ये रेट फिक्स्ड होंगे और इनमें किसी भी तरह का बदलाव, जैसे कि एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव, मज़दूरी दर में बदलाव, रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या कोई अन्य कारण शामिल नहीं होगा। निविदा देने वालों को अपने रेट में सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रोई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर सेल्स टैक्स और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया कोई भी अन्य टैक्स, ड्यूटी या शुल्क शामिल करना होगा, अगर लागू हो। नियोक्ता सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रोई और अन्य टैक्स, ड्यूटी

या शुल्क के संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य का।

19(क). ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा पूरी तरह आइटम दर के आधार पर है और यह ध्यान रखें कि हर आइटम की दर सही, व्यवहारिक और उचित होनी चाहिए। मात्रा के शेड्यूल में दी गई मात्राएं काम की कुल अनुमानित मात्रा दर्शाती हैं, लेकिन वे बदल सकती हैं या उन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे संविदा की कुल कीमत बदल सकती है। हालांकि, काम करते समय, अगर किसी भी आइटम की मात्रा निविदा में दी गई मात्रा से 25% से अधिक हो जाती है, तो बैंक और नियोक्ता की सहमति से, निविदा मात्रा के 25% से अधिक की मात्रा को अतिरिक्त काम माना जाएगा। इसके लिए ठेकेदार को रेट विश्लेषण, मूल खरीद बिल/वाउचर आदि के साथ नई दरें देनी होंगी और यह दर वास्तविक लागत के आधार पर 15% स्थापना शुल्क, ठेकेदार का ओवरहेड और लाभ जोड़कर होगी। ऐसे सभी आइटम की दरें मौजूदा दरें होंगी और निविदा में दिए गए एस्केलेशन फॉर्मूले के अनुसार सामग्री और मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। अगर नियोक्ता अपने विवेक से स्वीकृत निविदा से कोई आइटम हटा देता है, तो ठेकेदार इस आधार पर कोई दावा नहीं कर सकता।

19(ख) कुछ आइटम के लिए स्वीकृत ब्रांड और आइटम कोड दिए गए हैं और ठेकेदारों को केवल उन्हीं ब्रांड और कोड के रेट बताने होंगे। अगर काम के दौरान बैंक कोई बदलाव करता है, तो निविदा आइटम कोड और इस्तेमाल किए गए आइटम कोड के एमआरपी के आधार पर उन सामग्रियों के लिए कीमत में बदलाव किया जाएगा। ऐसे अंतर पर 15% ठेकेदार का मुनाफा (जो लागू हो) जोड़ा/घटाया जाएगा। इन मामलों में ढुलाई, बर्बादी या कोई अन्य अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होगा। इसी तरह, जिन आइटम के लिए काम के आइटम में बेसिक रेट लिया गया है, उनके लिए भी यही नियम लागू होगा। नियम होगा: कार्यस्थल पर इस्तेमाल किए गए मटेरियल की कीमत (सभी टैक्स सहित) और आइटम में दिए गए मटेरियल के बेसिक रेट (सभी टैक्स सहित) का अंतर प्लस 15% ठेकेदार का मुनाफा। यह नियम दोनों तरह से लागू होगा, यानी अगर इस्तेमाल किया गया मटेरियल निविदा आइटम में दिए गए बेसिक रेट से महंगा है तो अतिरिक्त भुगतान होगा, और अगर इस्तेमाल किया गया मटेरियल बेसिक रेट से सस्ता है तो छूट दी जाएगी।

20. मेमोरैंडम में दिए गए अनुसार काम पूरा करने के लिए निर्धारित समय का ठेकेदार को सख्ती से पालन करना होगा और यह समय काम शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने या कार्यस्थल ठेकेदार को सौंपे जाने के 10वें दिन से गिना जाएगा।
21. ठेके की निर्धारित अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करता है, तो उसे संविदा की शर्तों के अनुसार मुआवजा देना होगा।

22. ठेकेदार को काम शुरू करने या उसे पूरा करने में देरी से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जैसे कि उसे दिए गए काम में बदलाव, उससे जुड़े किसी सब-कॉन्ट्रैक्ट में देरी, प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में देरी, ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में देरी, सरकारी या अन्य बिल्डिंग सामग्री की खरीद में देरी, निर्माण के लिए पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी या कोई अन्य कारण। नियोक्ता इस संबंध में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें इस दस्तावेज़ में दिए गए बदलाव शामिल हों।

23. काम पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई भी कार्य, चाहे वह मात्रा और दर के विवरण में शामिल न हो, सफल बोलीदाता को करना होगा। ऐसे अतिरिक्त कार्यों और उनकी मात्रा के संबंध में निर्देशों का विवरण बैंक इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी किया जाएगा, लेकिन यह सब नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से होगा।

24. सफल निविदा देने वाले को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा, ताकि काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से और बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरा हो सके।

25. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी काम नियोक्ता/बैंक द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार और स्थानीय सरकारी अधिकारियों तथा बैंक की सभी शर्तों का पालन करते हुए ही किए जाएं। किसी भी स्थिति में इन नियमों से कोई भी विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

26. काम पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी, उसे उपलब्ध कराने का प्रबंध सफल बोलीदाता को खुद करना होगा, जैसा कि बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा निर्देशित किया गया है।

27. ठेकेदार को काम के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा, इसके साथ ही निविदा फॉर्म के भाग-1 में दी गई जानकारी का भी पालन करना होगा।

28. यदि सफल बोली लगाने वाला संविदा की किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा।

29. ठेकेदार यह मानकर चलेगा कि उसने काम और कार्यस्थल की स्थिति, श्रम, सामान्य और विशेष शर्तें, स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल आदि की अच्छी तरह जांच कर ली है। साथ ही, उसने काम की जगह का दौरा किया है, स्थानीय परिस्थितियों की पूरी जानकारी हासिल की है और निविदा में दिए गए रेट तय करने के लिए खुद जांच-पड़ताल की है। इस संबंध में, विभाग उसके पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी देगा, लेकिन इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं होगी।

30. यदि ठेकेदार को सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्य के दायरे, विशिष्टताओं या संविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो उसे अपनी निविदा जमा करने से पहले ही बैंक को लिखित में इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि निविदा जमा करने से पहले ऐसे संदेहों का आधिकारिक तौर पर लिखित में समाधान हो सके। निविदा जमा होने के बाद, यदि ऐसा कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो मामला निविदा की शर्तों के अनुसार ही तय किया जाएगा।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से निविदा में दिए गए काम को दो या अधिक निविदा देने वालों में बांट दे और ठेकेदार को अलग-अलग आइटम के लिए दिए गए रेट पर ऑर्डर पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह भी अधिकार है कि ऑर्डर देने के बाद भी काम की मात्रा बढ़ा या घटा सकता है या कोई आइटम हटा भी सकता है और ठेकेदार को इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की मांग किए बिना काम पूरा करना होगा। इस संबंध में, हर आइटम के लिए दिए गए रेट उचित और प्रासंगिक होने चाहिए।

32. गलतियाँ, चूक और विवरण:
अगर लिखित विवरण और तकनीकी विवरण आदि में कोई गलती, चूक या मतभेद होता है, तो निम्नलिखित वरीयता क्रम लागू होगा:
(i) स्पेसिफिकेशन में आइटम का लिखित विवरण और उसी आइटम की मात्रा के शेड्यूल में दिए गए विस्तृत विवरण के बीच, बाद वाला विवरण मान्य होगा।
(ii) अगर अंकों और शब्दों में लिखे गए रेट में अंतर हो, तो मूल निविदा फॉर्म में आइटम की कुल राशि की गणना के लिए इस्तेमाल किया गया रेट ही सही माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सही रेट वह होगा जो कम होगा।

33. किसी भी आइटम या स्पेसिफिकेशन में कोई चूक, संदेह या अंतर होने की स्थिति में, उप

महाप्रबंधक(संपदा-इंचार्ज), भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से संपर्क किया जाएगा। उनके द्वारा दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण या निर्णय को ही आधिकारिक माना जाएगा।

34. ठेकेदार को काम में किसी भी गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, जो ऐसे संदर्भ और सावधानी की कमी के कारण हुई हो।

35. निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि निविदा देने से पहले वे कार्यस्थल का दौरा करें और कार्यस्थल की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

36. संविदा करार पर हस्ताक्षर:

36.1 निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश, निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न संविदा की शर्तें और तकनीकी विशिष्टताएँ, बैंक और निविदा करने वाले के बीच बाद में हुई बातचीत और जारी किया गया कार्य आदेश, सफल निविदाकर्ता के साथ अंतिम संविदा का आधार होंगे।

36.2 निविदा देने वाले को संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और उसका प्रस्ताव उसमें दिए गए नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। दिए गए नियम और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ के हर पेज और संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए।

36.3 ठेकेदार द्वारा अपने निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना मिलने पर, सफल निविदा देने वाला व्यक्ति संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके 14 दिनों के भीतर वह मसौदा संविदा और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा को लिखित रूप में स्वीकार करना, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगा, भले ही बाद में कोई औपचारिक समझौता प्रपत्र न भी किया गया हो। यदि आवश्यक हो, तो सफल निविदा देने वाले/निविदाकर्ता को समझौता/निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम से कंपनी/फर्म की मुहर वाला पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र जमा करना होगा।

37. बोलियों का मूल्यांकन

पार्ट-I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) में सफल सभी बोलीदाताओं का पार्ट-II (प्राइस बिड) वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाला (L1) सफल बोलीदाता माना जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बैंक को सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है और न ही अस्वीकृति का कोई कारण बताना बैंक के लिए अनिवार्य है। यदि सबसे कम बोली बैंक द्वारा अनुमानित मूल्य से 5% अधिक है, तो बोलीदाता से उद्धृत राशि का औचित्य बताने का अनुरोध किया जाएगा।

अगर दो या ज़्यादा बोली लगाने वालों की सबसे कम बोली की राशि समान है, तो ऐसे बोली लगाने वालों से उनके पहले दिए गए बोली मूल्य पर छूट देकर एक संशोधित प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा जा सकता है। सबसे कम बोली संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तय की जाएगी और सफल बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा। यह ध्यान रहे कि बैंक को सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकृति का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, यदि कोई बोली लगाने वाला अपनी बोली कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। यदि संशोधित प्रस्ताव में दो या अधिक बोली लगाने वालों की संशोधित बोली राशि (अलग-अलग आइटम के उद्धृत दर के आधार पर) फिर से समान पाई जाती है, तो

आरबीआई आगे का निर्णय लेगा, जो सभी बोली लगाने वालों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बोलियों की जाँच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए, बैंक बोलीदाताओं से व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित/ईमेल द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में कोई भी संचार केवल 'gpcnewdelhi@rbi.org.in' या estatenewdelhi@rbi.org.in' ईमेल आईडी पर ही किया जाएगा। बोली की कीमत या शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि बोली मूल्यांकन के दौरान निविदा शर्तों के अनुसार कोई बदलाव आवश्यक हो।

अगर किसी निविदा में किसी आइटम/आइटमों का यूनिट रेट अनुचित लगता है, तो ऐसी निविदा असंतुलित मानी जाएगी और यदि निविदा देने वाला व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो उस निविदा को अयोग्य और अस्वीकृत किया जा सकता है।

यदि कोई बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसकी निविदा खारिज की जा सकती है।

38. **निविदा के भाग-1 के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:**

निविदा की प्रति और सभी आवश्यक संलग्नक, उचित हस्ताक्षर के साथ, निविदा के भाग-I के साथ अपलोड की जाए।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
तारीख: पता एवं संपर्क नंबर:

खंड: 4

सुरक्षा कोड

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट संख्या D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

1. प्राथमिक उपचार उपकरण, जिनमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, ऐसे स्थान पर रखे जाने चाहिए जहां से इन्हें आसानी से ऐक्सेस किया जा सके।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाना चाहिए।
3. कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर मलबा या सामग्री नहीं लादी जानी चाहिए।
4. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।
5. वेल्डिंग कार्यों में लगे श्रमिकों को वेल्डर के सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।
6. (i) रेडीमेड पेंट के पेस्ट के रूप को छोड़कर, सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(ii) स्प्रे के रूप में पेंट लगाते समय या सीसा पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर खुरचते समय श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
7. ठेकेदार को अपने सभी श्रमिकों (कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार की लागत पर सभी संभव/पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

खंड: 5

इसके बाद उल्लिखित शर्तें

1. खंड की व्याख्या:

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा समझौते की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसमें दिए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

क) नियोक्ता: इसका तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें उसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

ख) ठेकेदार

साझेदारी फर्म के मामले में: ठेकेदार का मतलब होगा.....

_____ और जो _____ के नाम और स्टाइल में साझेदार के साथ कारोबार कर रहा है

_____

_____

_____ और जिसके कारोबार का मुख्य स्थान _____ _____ है तथा इसमें उक्त फर्म के कुछ समय के लिए साझेदार तथा मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि_____ शामिल होंगे।

व्यक्ति मामले में: ठेकेदार का मतलब होगा ....
जो _____ के नाम और स्टाइल में साझेदार के साथ कारोबार कर रहा है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, सक्सेसर और कानूनी प्रतिनिधि_____ शामिल होंगे।

कंपनी के मामले में: ठेकेदार का मतलब होगा_____
एक कंपनी जो_____के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय_____में है और इसमें उसके सक्सेसर एवं असाइनि भी शामिल होंगे।

ग) कार्यस्थल: इसका मतलब होगा संविदा कार्य की वह जगह, जिसमें उस पर बनी कोई भी इमारत या संरचना और नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित की गई कोई अन्य भूमि (सभी मिलाकर) शामिल होगी।

घ) यह संविदा: इसमें करार के नियम, विशेष शर्तें, सामान्य शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं का विवरण जो उचित रूप से हस्ताक्षरित हैं, शामिल होंगे।

ङ) लिखित नोटिस: लिखित नोटिस का मतलब है हाथ से लिखा, टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ नोटिस जो रजिस्टर्ड पोस्ट से प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय पर भेजा गया हो (जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से न दिया गया हो या यह साबित न हो कि वह प्राप्त हो गया है) और यह माना जाएगा कि यह नोटिस डाक के सामान्य समय में प्राप्त हो गया है।

च) दिवालियापन का कृत्य: इसका मतलब होगा प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे किसी मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम में परिभाषित किया गया कोई भी दिवालियापन का कार्य।

छ) निवल कीमतें: अगर ठेकेदार अनुंबध की राशि तय करते समय निविदा में आइटम की कुल

कीमत में कोई राशि (प्रतिशत के रूप में या अन्यथा) जोड़ता या घटाता है, तो निविदा में किसी भी आइटम की नेट कीमत वह राशि होगी जो निविदा में उस आइटम की कीमत के रूप में दिए गए वास्तविक आंकड़े में उसी प्रतिशत को जोड़ने या घटाने से निकलेगी। ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित किया जाएगा। प्राइम कॉस्ट आइटम और अग्रिम राशि की कुल कीमत को निविदा की कुल राशि में से घटा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट या खातों के संदर्भ में "नेट दरें" या "नेट कीमत" का मतलब इसी तरह से निर्धारित दरें या कीमत होगी।

ज) कार्य का मतलब: "**आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण**"।

शब्दों में व्यक्तियों के साथ-साथ फर्म और कॉर्पोरेशन भी शामिल हैं। केवल एकवचन अर्थ वाले शब्द का प्रयोग बहुवचन अर्थ में और इसके विपरीत भी किया जा सकता है, जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो।

2. संविदा का दायरा:

ठेकेदार को यह काम इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों के मुताबिक और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से पूरा करना होगा। नियोक्ता अपनी इच्छानुसार समय-समय पर लिखित निर्देश, विस्तृत दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे चलकर "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा।

2क काम की गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव या कोई काम जोड़ना, हटाना या बदलना।

2ख मात्रा की सूची और/या स्पेसिफिकेशन में कोई अंतर।

2ग ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाए गए किसी भी सामग्री को हटाना और उसकी जगह दूसरी सामग्री का इस्तेमाल करना।

2घ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।

2ङ काम पर लगे किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालना।

2च किसी ढके हुए काम को निरीक्षण के लिए खोलना।

2छ किसी भी दोष को ठीक करना और सुधारना।

3. ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी होंगी:

ठेकेदार को नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार तुरंत काम शुरू करना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा। हालांकि, अगर बैंक द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को काम के संबंध में मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश या स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जिनमें कोई बदलाव शामिल हो, तो ठेकेदार को सात दिनों के भीतर लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी और यदि नियोक्ता सात दिनों के भीतर लिखित रूप में इससे छूट नहीं देता है, तो इसे संविदा के दायरे में बैंक के निर्देशों के रूप में माना जाएगा। ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी होंगी।

ठेकेदार को काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए, क्वांटिटी शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन के अनुसार, अपनी लागत पर सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी होंगी, भले ही वे उसमें विशेष रूप से बताई गई हों या नहीं। अगर ठेकेदार को क्वांटिटी शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन में कोई अंतर दिखाई देता है, तो वह तुरंत लिखित रूप में बैंक को सूचित करेगा, और बैंक तय करेगा कि क्या किया जाना है।

ठेकेदार को कार्य से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों और किसी भी प्राधिकरण के नियमों व उप-नियमों तथा जल, बिजली आपूर्ति और अन्य कंपनियों/प्राधिकरणों के नियमों का पालन करना होगा, जिनसे इस स्ट्रक्चर को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ऐसे किसी भी बदलाव से पहले, जो इन नियमों

के पालन के लिए आवश्यक हो, ठेकेदार को बैंक को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसके कारण का उल्लेख हो, और इस संबंध में निर्देश के लिए अनुरोध करना होगा। यदि दस दिनों के भीतर ठेकेदार को ऐसे निर्देश नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उप-नियमों के अनुसार कार्य करना जारी रखेगा, और इस तरह के किसी भी बदलाव को खंड 15 के तहत निपटाया जाएगा।
यह संविदा संबंधित अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार किसी भी प्राधिकरण को दिए जाने वाले सभी नोटिसों को बैंक के ध्यान में लाएगा और ऐसे प्राधिकारी को या किसी भी सरकारी कार्यालय को काम से संबंधित सभी शुल्क का भुगतान करना होगा और प्राप्त रसीदों को नियोक्ता को सौंपना होगा।
ठेकेदार नियोक्ता को पेटेंट अधिकारों से संबंधित सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा, और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, और वह स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति लागत और इस संबंध में कानूनी रूप से होने वाले सभी प्रकार के अन्य खर्चों का भुगतान करेगा।

6 कार्यों की रूपरेखा तैयार करना:
ठेकेदार को काम की योजना बनानी होगी और काम की सही और सटीक योजना बनाने तथा उसके सभी हिस्सों की स्थिति, स्तर, माप, ढलान और संरेखण आदि की सटीकता के लिए वह ज़िम्मेदार होगा। यदि काम के दौरान या काम पूरा होने के बाद दोष-दायित्व अवधि के दौरान इस संबंध में कोई गलती सामने आती है, तो ठेकेदार को बैंक की संतुष्टि तक अपनी लागत पर ऐसी गलती/दोष को ठीक करना होगा।

7 सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुसार होनी चाहिए:
जब तक अन्यथा न कहा जाए, माप आईएस:1200 के संबंधित भागों के अनुसार होंगे। सभी सामग्री और कार्यप्रणाली, जहाँ तक संभव हो, मात्रा की सूची और/या विशिष्टताओं में बताए गए प्रकार की होनी चाहिए और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही, ठेकेदार को नियोक्ता की मांग पर सभी इनवॉइस, खाते, रसीदें और अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे, ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इन नियमों का पालन करती है।
ठेकेदार अपने खर्च पर नियोक्ता द्वारा आवश्यक किसी भी सामग्री का परीक्षण करवाएगा।

ठेकेदार को काम में इस्तेमाल होने वाले सभी सामग्रियों का परीक्षण अपने खर्च पर नवीनतम आईएस कोड में बताए गए तरीके और आवृत्ति के अनुसार करवाना होगा, ताकि बैंक की आवश्यकता होने पर उनकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता साबित हो सके। परीक्षण के लिए सामग्री के नमूने भेजने से पहले, उन्हें सील किया जाएगा और ठेकेदार तथा बैंक के प्रतिनिधि दोनों उनके पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक नमूने पर एक अलग पहचान चिह्न लगाया जाएगा। यदि किसी भी परीक्षण के बाद, काम या उसके किसी हिस्से को बैंक की राय में खराब या दोषपूर्ण पाया जाता है, तो ठेकेदार को उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा। परीक्षण के बाद जो सामग्री संबंधित आईएस कोड के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाई जाती, उसे ठेकेदार को तुरंत कार्यस्थल से हटा देना होगा।

ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षण और काम पर उनके प्रतिनिधि:
ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करना होगा, तथा उसके बाद नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करना होगा। ठेकेदार एक सक्षम, योग्य और अनुभवी इंजीनियर को भी नियुक्त/नियोजित करेगा जो कर्मचारियों के काम पर रहने के दौरान लगातार कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना के लिए ठेकेदार को उत्तरदायी माना जाएगा।

8 कर्मचारियों को बर्खास्तगी:
बैंक इंजीनियर के अनुरोध पर, ठेकेदार को तुरंत उस काम से हटा देना चाहिए, जिस पर उसने किसी व्यक्ति को काम पर रखा हो, यदि बैंक इंजीनियर की राय में वह व्यक्ति सक्षम नहीं है या उसका व्यवहार गलत है। ऐसे व्यक्ति को नियोक्ता की अनुमति के बिना दोबारा काम पर नहीं लगाया जाएगा।

9 कार्य / कार्यस्थल तक पहुंच:
नियोक्ता और उनके प्रतिनिधि उचित समय पर कार्य की जगह और/या उन वर्कशॉप, फैक्ट्रियों या अन्य जगहों पर बिना किसी रोक-टोक के जा सकेंगे जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से सामग्री प्राप्त की जा रही है। ठेकेदार को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जांच और परीक्षण के लिए नियोक्ता, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी। सार्वजनिक अधिकारियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय काम की जगह पर नहीं जा सकेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी): "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)" से तात्पर्य वह व्यक्ति होगा जिसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त और वेतन दिया गया हो और जो काम की जांच के लिए नियोक्ता के आदेशों के तहत काम करता हो। ठेकेदार को सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) को काम और सामग्री की जांच करने तथा समय और सामग्री की जांच व माप करने के लिए सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी होगी। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के पास काम शुरू करने, संविदा की किसी भी शर्त को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या ढील देने, या किसी भी अतिरिक्त काम को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता द्वारा लिखित आदेश से उन्हें विशेष रूप से यह अधिकार दिया गया हो।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता का कोई भी प्रतिनिधि, किसी भी काम या सामग्री को मंज़ूरी न देने के मामले में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने का अधिकार रखता है। बैंक का निर्णय आने तक ऐसा काम रोक दिया जाएगा या सामग्री का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। समय-समय पर बैंक, सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) काम की जांच करेंगे, लेकिन इस जांच से ठेकेदार को काम के किसी भी चरण में या काम पूरा होने के बाद पाए गए किसी भी दोष को ठीक करने की अपनी ज़िम्मेदारी से छूट नहीं मिलेगी। इस नियम के अधीन, ठेकेदार को निर्देश केवल बैंक से ही लेने होंगे।

10 समनुदेशन और उप किराएदारी :
संविदा में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा ही किए जाएंगे। नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार संविदा का कोई भी हिस्सा या उसमें अपनी हिस्सेदारी या कोई अधिकार किसी को नहीं दे सकता। संविदा की पूरी जिम्मेदारी और कार्य की प्रगति के दौरान उसकी सक्रिय देखरेख की जिम्मेदारी से ठेकेदार को कोई भी समझौता मुक्त नहीं करेगा।

11 बदलाव, जोड़, हटाना इत्यादि:
इस संविदा में कोई भी बदलाव, छूट या परिवर्तन इसे रद्द नहीं करेगा। लेकिन, काम के दौरान यदि नियोक्ता को काम में कोई बदलाव, अतिरिक्त काम या छूट करना उचित लगे, या इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई बदलाव करना उचित लगे, तो वह ठेकेदार को लिखित में इसकी सूचना देगा। ठेकेदार ऐसे नोटिस के अनुसार काम में बदलाव, अतिरिक्त काम या छूट करेगा। लेकिन, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा, न ही काम में कोई बदलाव, अतिरिक्त काम या छूट करेगा, और न ही संविदा, शर्तों और विशिष्टताओं के किसी प्रावधान से कोई विचलन करेगा। ऐसे अतिरिक्त काम, बदलाव, जोड़ या छूट का मूल्य सभी मामलों में नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और यह सब क्लॉज 15 के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से होगा। इसे संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

12 मात्रा का शेड्यूल:
मात्राओं का शेड्यूल, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, मानक माप पद्धति के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।
शेड्यूल, मात्रा या मात्रा सूची में आइटमों की कमी में कोई भी गलती इस संविदा को रद्द नहीं करेगी, बल्कि इसे ठीक किया जाएगा और खंड 15 के अनुसार निर्धारित मूल्य को संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों में कोई सुधार या गलती की अनुमति न हो।

13 मात्राओं की सूची की पर्याप्तता:
ठेकेदार यह मान लेगा कि उसने काम के लिए अपनी निविदा और मात्रा सूची/दरों की सूची में बताई गई कीमतों की सही-सही और पर्याप्तता की जांच निविदा जमा करने से पहले ही कर ली है। ये दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों और काम को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी बातों को शामिल करेंगी।

14 काम का मापन:
पूरे हो चुके काम के माप को ही भुगतान के लिए माना जाएगा।
बैंक इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर किए गए काम का माप लेंगे और ठेकेदार बिल में शामिल सभी मदों के लिए कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका के साथ बिल जमा करेगा।

यदि ठेकेदार काम के संयुक्त माप के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं भेजता है या इस काम में लापरवाही करता है, तो बैंक इंजीनियर या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित व्यक्ति माप लेगा।

सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और नियोक्ता की जानकारी में किए गए सभी बदलाव, जिन्हें बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में मंजूरी दी गई हो (नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के साथ), ऐसे माप में शामिल किए जाएंगे।

15 अतिरिक्त मदों की कीमतें आदि का निर्धारण:
कोई भी अतिरिक्त खर्च तभी मान्य होगा जब वह इस संविदा के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार या नियोक्ता की सहमति से बैंक के इंजीनियर की अनुमति से किया गया हो। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त खर्च को यहाँ 'अनुमत अतिरिक्त खर्च' कहा गया है और यह निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
15 ए (i) अगर अतिरिक्त काम का स्वरूप मूल निविदा में दिए गए काम जैसा ही हो और वही परिस्थितियों में किया गया हो, तो अतिरिक्त काम का मूल्यांकन मूल निविदा में दिए गए नेट रेट या

कीमत के आधार पर किया जाएगा।
(ii) जहाँ तक हो सके, सभी आइटम के रेट प्राइसड बिल ऑफ क्वांटिटी में दिए गए रेट से ही निकाले जाएँ।
15बी मूल निविदा की नेट कीमत से उन आइटम की कीमत तय की जाएगी जिन्हें हटाया गया है, बशर्ते कि काम के बाकी हिस्सों को जिस परिस्थिति में किया जाता है, वह हटाये गए आइटम से अलग न हो। अगर ऐसा है, तो कीमत उप-खंड (सी) के अनुसार तय की जाएगी।
15सी अगर अतिरिक्त काम का स्वरूप या परिस्थितियाँ मूल निविदा से अलग हों, या काम के बाकी हिस्सों को जिस परिस्थिति में किया जाता है, वह हटाये गए आइटम से अलग हो, या अगर काम में किसी भी कमी या बढ़ोतरी की राशि कुल कॉन्ट्रैक्ट काम या उसके किसी हिस्से की राशि के मुकाबले इतनी हो कि बैंक इंजीनियर के अनुसार प्राइसड शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी या निविदा में दिया गया नेट रेट या कीमत ठेकेदार के लिए उचित न हो या काम के किसी भी आइटम के लिए यह नुकसानदेह या लागू न हो, तो बैंक इंजीनियर, नियोक्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ, परिस्थितियों के अनुसार उचित और सही रेट या कीमत तय करेगा।
15डी अगर अतिरिक्त काम का सही माप या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो ठेकेदार को निविदा या प्राइसड शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी में दिए गए नेट रेट के अनुसार दिन के काम की कीमत दी जाएगी, या अगर ऐसा नहीं दिया गया है, तो उस जिले के स्थानीय दिन के काम के रेट और मजदूरी के अनुसार यह निर्धारित की जाएगी। दोनों ही मामलों में, काम पूरा होने के अगले हफ्ते के अंत तक या उससे पहले, बैंक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को हर दिन के समय (और अगर बैंक इंजीनियर चाहे तो मजदूर का नाम) और इस्तेमाल किए गए सामान का विवरण देने वाला वाउचर सत्यापन के लिए देना होगा।
15ई यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी अधिकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जिनके रेट निविदा से नहीं निकाले जा सकते, ठेकेदार को "वास्तविक लागत" के आधार पर रेट विश्लेषण के साथ रेट जमा करने होंगे, जिसमें स्थापना शुल्क, ठेकेदार का ओवरहेड और लाभ के लिए 15% शामिल होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

संविदा से संबंधित माप और मूल्यांकन, परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि इसमें उल्लिखित नहीं है, तो संविदा के खंड 19 में परिभाषित संविदा कार्य पूरा होने के छह महीने के भीतर यह पूरा किया जाएगा।

16 अस्थायी सामग्री को नियोक्ता की संपत्ति माना जाएगा:
जहां किसी सर्टिफिकेट (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान मिल चुका है) में बैंक इंजीनियर ने काम के लिए इस्तेमाल होने वाले या काम के पास रखे गए किसी भी बिना इस्तेमाल किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो वह सामान नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगा और नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना उसे काम पर इस्तेमाल करने के अलावा कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

17. गलत काम को हटाना:

काम के दौरान, बैंक इंजीनियर को समय-समय पर लिखित आदेश देने का अधिकार होगा कि काम में इस्तेमाल किए गए ऐसे किसी भी मटेरियल को, जो बैंक इंजीनियर की राय में स्पेसिफिकेशन या निर्देशों के अनुसार नहीं है, आदेश में तय उचित समय के भीतर हटा दिया जाए। साथ ही, उचित मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन या निर्देशों के अनुसार नहीं किए गए काम को ठीक से दोबारा किया जाएगा। ठेकेदार को तुरंत इस आदेश का पालन करना होगा। नियोक्ता को काम पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा। नियोक्ता/बैंक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित सभी संबंधित खर्चों का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, या नियोक्ता ठेकेदार को देय राशि में से यह राशि काट सकता है।

18. वर्चुअल कार्य पूरा होने के बाद दोष:

इस संविदा के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष उत्तरदायित्व अवधि" के दौरान या, यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो कार्य के लगभग पूरा होने के बारह (12) महीने के भीतर, यदि बैंक इंजीनियर की राय में सामग्री या कार्य की गुणवत्ता संविदा के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के लिखित निर्देश पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, अपनी लागत पर ऐसे दोषों को ठीक करना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता दूसरे लोगों को काम ठीक करने के लिए नियुक्त कर सकता है और उनका भुगतान कर सकता है। ऐसे सभी नुकसान, खर्च और व्यय जो इससे संबंधित हों, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और नियोक्ता उनसे वसूल कर सकता है या बैंक इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदार को देय राशि से काट सकता है। इसके अलावा, नियोक्ता ठेकेदार द्वारा काम ठीक करने के बजाय, बैंक इंजीनियर द्वारा निर्धारित राशि को ठेकेदार से देय राशि से काट सकता है। यदि खंड 29 के तहत रखी गई राशि कम होती है, तो नियोक्ता शेष राशि और संबंधित खर्चों को ठेकेदार से वसूल कर सकता है। यदि कोई उप-ठेकेदार जो खंड 10 और 20 के अनुसार बैंक इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित है, द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या सामग्री आपूर्ति की जाती है, तो ठेकेदार उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि उसने स्वयं वह कार्य या सामग्री आपूर्ति की हो और यह खंड 2 के प्रावधानों के अधीन होगा। नियोक्ता द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी करने या खाते पास करने के बावजूद भी ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी रहेगा।

19.वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र और दोषों की जवाबदेही अवधि:

जब तक बैंक इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि काम लगभग पूरा हो गया है, तब तक काम पूरा नहीं माना जाएगा। डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि इस प्रमाणपत्र की तारीख से शुरू होगी और 1 वर्ष तक वैध रहेगी।

20. नामित उप-ठेकेदार:

सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य व्यक्ति जो किसी भी सामान की आपूर्ति और स्थापना का कार्य करते हैं, जिनके लिए मुख्य लागत मूल्य या अनुमानित राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की सूची में शामिल है, और जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना गया है, वे इस प्रकार ठेकेदार द्वारा नियुक्त उप-ठेकेदार माने जाएंगे और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार कहा जाएगा।

कोई भी नामित उप-ठेकेदार ऐसे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई उचित आपत्ति हो या (जब तक कि नियोक्ता और ठेकेदार अन्यथा सहमत न हों) जो एक संविदा करने से इनकार करता हो, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हों:

क. निर्दिष्ट उप-ठेकेदार, सब- कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में उसी तरह की ज़िम्मेदारी वहन करेगा, जैसी कि इस मुख्य कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में ठेकेदार की है।

ख. नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई किसी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी भी श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के दुरुपयोग के संबंध में दावों के विरुद्ध ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।

ग. निर्दिष्ट सब-कंट्रैक्टर को पेमेंट, बैंक इंजीनियर के सर्टिफिकेट मिलने के चौदह दिनों के अंदर किया जाएगा। हालांकि, कोई भी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के अनुरोध पर यह साबित करना होगा कि पिछले सर्टिफिकेट में शामिल सभी सब-कंट्रैक्टर के अकाउंट का भुगतान कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो नियोक्ता बैंक इंजीनियर के सर्टिफिकेट के आधार पर भुगतान कर सकता है और इस राशि को ठेकेदार को देय राशि में से काट सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल करने से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा।

21. नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति:

नियोक्ता को बैंक इंजीनियर की सहमति से इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को पूरा करने के लिए परिसर और कार्यस्थल के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार है। यह काम वह किसी और व्यक्ति से भी करवा सकता है। ठेकेदार को ऐसा काम करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना उसे ऐसा काम करने के लिए कोई प्लांट या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह किया जाना चाहिए कि संविदा में शामिल कामों की प्रगति में कोई बाधा न हो और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

22. व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

ठेकेदार, किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु को होने वाली सभी चोट या नुकसान और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो ठेकेदार, किसी उप-ठेकेदार, किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके कर्मचारियों की किसी गलती या चूक से हुआ हो। इस क्लॉज़ के तहत यह दायित्व, संरचनाओं को होने वाले किसी भी नुकसान को भी शामिल करेगा, चाहे वह काम के ठीक बगल में हो या कहीं और, सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस संविदा के विषय में शामिल इमारत और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला नुकसान भी इसमें शामिल होगा। ठेकेदार, इस संविदा के विषय में शामिल इमारतों और अन्य संरचनाओं तथा कार्यों को बारिश, हवा, ओस या खराब मौसम के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार, नियोक्ता को ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति के लिए हुए सभी नुकसान और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति देगा और उसे सुरक्षित रखेगा, और किसी भी कानून के तहत या अन्यथा चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा, साथ ही ऐसे दावों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अवार्ड, मुआवज़े या नुकसान से भी सुरक्षित रखेगा। ठेकेदार अपने खर्च पर, इस संविदा के तहत वर्चुअल समापन प्रमाणपत्र जारी होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से (पॉलिसी में पहले नियोक्ता का नाम) ठेकेदारों के लिए मानक ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार, संविदा की पूरी राशि के लिए ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि काम को हर तरह से पूरा और त्रुटिहीन रूप से पूरा किया जा सके और संपत्ति या किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के सभी दावों का निपटारा किया जा सके।

ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि नियोक्ता के खिलाफ काम से संबंधित या उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी दावे के लिए वह नियोक्ता को क्षतिपूर्ति दे। ठेकेदार अपने खर्च पर, संविदा पूरा होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी से नियोक्ता और ठेकेदार दोनों के संयुक्त नाम से (पॉलिसी में पहले नियोक्ता का नाम) एक बीमा पॉलिसी लेगा और काम शुरू होने से पहले उस पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 5 लाख रुपये होगी। ठेकेदार को इस संविदा की अवधि के दौरान, चाहे वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत हो, या सामान्य कानून के तहत, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में नियोजक पर किए गए सभी दावों के लिए नियोजक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। ऐसा करने के लिए, ठेकेदार को अपने खर्च पर, नियोजक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी लेनी होगी और इसे संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोजक को देना होगा। यह पॉलिसी संविदा पूरा होने तक लागू रहेगी।

यदि ठेकेदार ऊपर बताए अनुसार बीमा नहीं करवाता है, तो नियोक्ता स्वयं बीमा करवा सकता है और भुगतान किया गया प्रीमियम राशि ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से काट सकता है।

ठेकेदार ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसी द्वारा कवर न होने वाले किसी भी दायित्व के लिए और इस संविदा के गलत तरीके से निष्पादन के कारण किसी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को होने वाले किसी भी अन्य नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, चाहे नुकसान का कारण कुछ भी हो।

ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि काम से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों, शुल्कों या व्ययों के लिए और उससे संबंधित किसी भी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के मामले में नियोक्ता को कोई नुकसान न हो।

ठेकेदार द्वारा चूक करने पर नियोक्ता के अन्य अधिकारों को प्रभावित किए बिना, नियोक्ता को ठेकेदार को देय राशि में से, इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि काटने का अधिकार होगा।

इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी भी दावे का निपटारा होने पर, ठेकेदार को नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए काम को फिर से बनाने या ठीक करने का काम तुरंत शुरू करना होगा। ऐसी स्थिति में, नुकसान के संबंध में इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त सभी धन ठेकेदार को देय होगा और नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान को फिर से बनाने या ठीक करने में हुए खर्च के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार को, नुकसान के बाद पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य के लिए, बैंक के इंजीनियर/आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा में विस्तार का अधिकार होगा। हालांकि, इस संविदा में उल्लिखित किसी भी दावे के निपटारे में बीमा कंपनी द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या अंतर के लिए नियोक्ता से कोई प्रतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर बिना कोई असर डाले, ठेकेदार को सभी नामित उप-ठेकेदार से भी इस क्लॉज़ के प्रावधानों के अनुसार अपने काम के हिस्से के लिए इसी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी बनवानी होगी और उन्हें नियोक्ता को दिखाना होगा। जब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल जाती, ठेकेदार किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्यस्थल पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा। अगर उप-ठेकेदार कार्यस्थल पर काम शुरू करने से पहले ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है, तो उस उप-ठेकेदार से होने वाले किसी भी नुकसान या दावे के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

23. प्रारंभ और समापन की तिथि:

ठेकेदार को इस संविदा के परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ तिथि" या बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा निर्धारित किसी अन्य बाद की तिथि को कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद वह तुरंत काम शुरू करेगा और परिशिष्ट में उल्लिखित "पूर्णता तिथि" तक नियमित रूप से काम जारी रखेगा और उसे पूरा करेगा, हालांकि, बाद में समय बढ़ाया जा सकता है।

24. काम पूरा न होने पर हर्जाना :

यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तारीख या खंड 25 के तहत निर्धारित किसी विस्तारित समय सीमा तक काम पूरा नहीं करता है और बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में काम समय पर पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार को नियोक्ता को परिशिष्ट में " **परिनिर्धारित हर्जाना**" के रूप में उल्लिखित राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि उस अवधि के लिए होगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता और नियोक्ता ठेकेदार को देय राशि में से यह हर्जाना की राशि काट सकता है।

25. विलंब और समय-सीमा में विस्तार:

यदि बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता की राय में काम में देरी होती है:
(क) अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) अत्यधिक खराब मौसम के कारण या (ग) आस-पास के मालिकों या सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई या विवाद के कारण (जो ठेकेदार की गलती के कारण न हो) या (घ) नियोक्ता या बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या श्रमिकों के काम या देरी के कारण, जो मात्रा की सूची और/या विशिष्टताओं में नहीं दिया गया हो या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों के कारण या (च) नागरिक अशांति, श्रमिकों की हड़ताल या निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी काम पर तालाबंदी के कारण या (छ) यदि ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर से समय पर आवश्यक निर्देश नहीं मिलते हैं, जिसके लिए उसने लिखित में अनुरोध किया हो या (ज) अन्य कारणों से जिन्हें बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर मानता हो या (झ) यदि बदलाव के कारण काम की कीमत मात्रा की कीमत वाली सूची से अधिक हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता, नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति से, संविदा कार्य पूरा करने के लिए उचित समय बढ़ा सकता है। ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में, ठेकेदार तुरंत बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता को लिखित सूचना देगा, लेकिन ठेकेदार को देरी रोकने के लिए लगातार प्रयास करना होगा और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि तक काम जारी रखने के लिए जो कुछ भी उचित हो, वह करना होगा।

यदि ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए समय की ज़रूरत होती है या किसी कारण से काम तय समय सीमा के बाद पूरा होता है, तो ठेकेदार को कम से कम 7 दिन पहले लिखित रूप में नियोक्ता से समय बढ़ाने का अनुरोध करना होगा। समय बढ़ाने के अनुरोध में ठेकेदार को देरी के कारणों और अपने बचाव के लिए कोई भी तर्क विस्तार से बताना होगा। केवल वही समय अवधि, जो नियोक्ता द्वारा दी गई है (ठेकेदार के अनुरोध मिलने पर या बिना अनुरोध के भी), नुकसान की भरपाई के प्रावधान से छूट के लिए मान्य होगी। मूल तय समय और नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त समय के बाद के समय के लिए, खंड 24 में दिए गए नुकसान की भरपाई का प्रावधान लागू होगा।

इसके अलावा, भले ही ठेकेदार ने काम पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया हो या नहीं, संविदा, काम पूरा होने की निर्धारित तारीख के बाद के समय के लिए भी लागू रहेगा, जब तक कि नियोक्ता संविदा समाप्त करने का निर्णय न ले। किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी होने पर ठेकेदार को दरों में संशोधन या किसी भी अतिरिक्त मुआवजे का कोई अधिकार नहीं होगा।

26. ठेकेदार द्वारा बैंक इंजीनियर/नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना:

यदि ठेकेदार को बैंक इंजीनियर/नियोक्ता से दस दिनों के भीतर अनुपालन करने का लिखित नोटिस मिलने के बाद भी वह अतिरिक्त निर्देशों/निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो नियोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है और उसका भुगतान कर सकता है। इस काम से संबंधित सभी खर्चों को बैंक इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदार से वसूला जा सकता है या ठेकेदार को देय राशि में से काटा जा सकता है।

27. नियोक्ता द्वारा संविदा का समापन:

यदि ठेकेदार व्यक्ति या फर्म के रूप में कोई "अक्षमता का कार्य" करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या यदि वह एक पंजीकृत कंपनी है और उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है, या वह स्वयं या न्यायालय के पर्यवेक्षण में समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, तो ऐसे मामलों में, सात दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता को यह संतुष्ट करने में असमर्थ होने पर कि वह संविदा को पूरा कर सकता है और उसके लिए सिक्योरिटी दे सकता है, तो बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता उसे नोटिस देकर ऐसा करने के लिए कह सकता है।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो या पंजीकृत कंपनी) के खिलाफ कोर्ट द्वारा संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया जाता है या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई की जाती है।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को लेनदार या ठेकेदार की ओर से जब्त करने की

अनुमति देगा।

या बिना नियोक्ता की लिखित सहमति के इस संविदा को किसी और को सौंपे या सब-लीज पर दें।

या इस संविदा या ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान पर कोई भार या दावा नहीं लगाएगा।

या यदि बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता लिखित रूप में यह स्पष्ट करता है कि ठेकेदार...

(i) संविदा छोड़ दिया हो।

(ii) काम शुरू नहीं किया हो या इन शर्तों के तहत बिना किसी उचित कारण के, बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा काम शुरू करने का नोटिस मिलने के 14 दिन बाद काम रोक दिया हो।

(iii) काम को उचित सावधानी से न किया हो और तय समय में काम पूरा करने के लिए उचित प्रगति न की हो।

(iv) सात दिन के भीतर कार्यस्थल से सामग्री न हटाई हो या बैंक के इंजीनियर/आर्किटेक्ट द्वारा लिखित नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर खराब या अस्वीकृत सामग्री या काम को न हटाया हो।

(v) सात दिन तक लगातार इस संविदा में बताए गए सभी या कुछ कार्यों को न किया हो, या संविदा में बताए गए कार्यों को करने के लिए बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता द्वारा लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी उन्हें न किया हो।

इसके बाद, और ऐसे किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है, लेकिन इससे बैंक के इंजीनियर/नियोक्ता की शक्तियां या ठेकेदार की जिम्मेदारियां और दायित्व प्रभावित नहीं होंगे, जो संविदा समाप्त न होने की स्थिति में भी पूरी तरह लागू रहेंगे, और ऐसा माना जाएगा कि बाद में किया गया काम ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से किया गया है। इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से काम की जगह और आस-पास की ज़मीन या सड़क पर मौजूद सभी उपकरण, मशीनरी, स्टीम और अन्य पावर उपकरण और सामग्री पर कब्ज़ा कर सकता है और उनका उपयोग अपनी संपत्ति के रूप में कर सकता है या अपने कर्मचारियों और मजदूरों से काम पूरा करवा सकता है या काम पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या काम पूरा करने या सामग्री और उपकरणों का उपयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परेशान या रोक नहीं सकता। काम पूरा होने पर या उसके बाद जल्द ही, बैंक का इंजीनियर/नियोक्ता ठेकेदार को लिखित में नोटिस देकर अतिरिक्त सामग्री और उपकरण हटाने को कहेगा। यदि ठेकेदार 14 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है और प्राप्त राशि ठेकेदार को दे सकता है। इसके बाद, नियोक्ता लिखित में यह प्रमाणित करेगा कि उसे कितना भुगतान करना है या ठेकेदार को कितना भुगतान करना है, काम पूरा करने में नियोक्ता का कितना खर्च या नुकसान हुआ है और ठेकेदार को कितना बकाया है। यह राशि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दी जाएगी। इंजीनियर का प्रमाण पत्र दोनों पक्षों के लिए अंतिम और निर्णायक होगा।

28. ठेकेदार द्वारा संविदा का समापन:

यदि बैंक इंजीनियर के सर्टिफिकेट के अनुसार नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान, ठेकेदार द्वारा लिखित नोटिस देने के 30 दिनों के बाद भी बकाया रहता है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी सर्टिफिकेट को जारी करने में बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता संविदा से इनकार कर देता है, या यदि बैंक इंजीनियर या नियोक्ता के आदेश से या किसी अदालत के निषेधाज्ञा या अन्य आदेश से काम तीन महीने के लिए बंद रहता है, तो ठेकेदार लिखित नोटिस द्वारा बैंक इंजीनियर के माध्यम से नियोक्ता को संविदा समाप्त करने का अधिकार रखता है और वह नियोक्ता से सभी किए गए कामों का भुगतान और संविदा के लिए खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामग्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए दावा कर सकता है।

29. भुगतान का प्रमाणपत्र:

29ए ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों में भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान बैंक इंजीनियर द्वारा जारी अंतरिम प्रमाणपत्रों के आधार पर किया जाएगा, जो कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को दिया जाएगा। आर्किटेक्ट *(इस प्रयोजन के लिए, कार्य निष्पादन, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, कार्य की प्रगति और पूर्णता आदि से संबंधित शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/समप्र (टी) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति होगा) की राय में, यदि संविदा के अनुसार कार्य की अनुमानित कीमत (जो परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य" के रूप में दी गई है)* (या बैंक इंजीनियर के विवेक से कम) का कार्य पूरा हो गया है, तो भी परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत" के रूप में दिए गए प्रतिशत का कुछ हिस्सा रोककर रखा जाएगा, जब तक कि कुल प्रतिधारित राशि परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण राशि" के रूप में दी गई राशि तक नहीं पहुँच जाती। उसके बाद, भवन में बाद में किए गए कार्य की पूरी कीमत तक की किस्तें जारी की जाएंगी। आर्किटेक्ट अपने विवेक से अंतरिम प्रमाणपत्र में ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई गई सामग्री की कीमत भी शामिल कर सकता है। जब कार्य लगभग पूरा हो जाता है और आर्किटेक्ट लिखित में यह प्रमाणित कर देता है कि कार्य पूरा हो गया है, तो ठेकेदार को नियोक्ता/बैंक इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार परिशिष्ट में "लगभग पूर्ण होने के बाद किस्त" के रूप में दी गई राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कुल प्रतिधारण राशि का हिस्सा होगी। ठेकेदार को अंतिम शेष राशि का भुगतान, इस संविदा के परिशिष्ट में "दोष उत्तरदायित्व अवधि" के रूप में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर आर्किटेक्ट द्वारा लिखित रूप में जारी अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त होगा। यह भुगतान कार्य की आभासी समाप्ति की तारीख से या इस अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद, जब कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और सभी दोषों को ठीक कर दिया जाए, जो भी बाद में हो, दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने पर या उसके बाद नियोक्ता/बैंक इंजीनियर द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र, खंड 2 और 18 के तहत ठेकेदार की जिम्मेदारी को कम नहीं करेगा। न ही यह कार्य या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या जानबूझकर छिपाने या प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी भी मामले में ठेकेदार की जिम्मेदारी को कम करेगा। साथ ही, कार्य या सामग्री में ऐसे सभी दोषों और कमियों के मामले में, जो उचित जांच से पता नहीं चल पाए, ठेकेदार की जिम्मेदारी बनी रहेगी। नियोक्ता का प्रमाणपत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होगा कि संबंधित कार्य या सामग्री संविदा के अनुसार हैं। न ही ठेकेदार बैंक इंजीनियर द्वारा किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित और नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए दावा कर सकता है, भले ही बाद में पता चले कि वह राशि देय नहीं थी। इस मामले में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

29बी यदि काम या उसके कोई भी हिस्सा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

29सी नियोक्ता किसी प्रमाणपत्र के माध्यम से अपने द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी प्रमाणपत्र में कोई सुधार कर सकता है।

29डी यदि ठेकेदार काम का बीमा नहीं कराता है या वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक बीमा नहीं रखता है, तो ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

30. बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के आधार पर भुगतान, परिशिष्ट में "प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि" के रूप में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

31. मामले का अंतिम निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा:

खंड 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 25 [क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज और झ], 26 के तहत सभी या किसी भी मामले से संबंधित निर्णय, राय, निर्देश, भुगतान प्रमाण पत्र (जिन मामलों को यहाँ अपवादित मामले कहा गया है) अंतिम और बाध्यकारी होंगे और उन पर अपील नहीं की जा सकेगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश या मूल्यांकन प्रमाण पत्र, या नियोक्ता द्वारा इनमें से किसी को देने से इंकार, सभी मामलों में खंड 32 के तहत मध्यस्थता और पुनर्विलोकन के अधिकार के अधीन होगा (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित), मानो यह नियोक्ता का निर्णय हो।

32. विवादों का निपटारा और मध्यस्थता:

ठेके या काम से संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को बैंक के पास भेजा जाएगा और बैंक द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा। बैंक अपना निर्णय लिखित में देगा। यह निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि ठेकेदार किसी मामले से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय के नोटिस मिलने के 28 दिनों के भीतर लिखित नोटिस देकर दूसरे पक्ष से विवादित मामले का मध्यस्थता से निपटारा करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों का उल्लेख होगा जिन पर विवाद है या जिन पर लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बनती है, तो दोनों पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि के रूप में एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में नामित करेंगे।

मामले के अनुसार, मध्यस्थ या मध्यस्थों के पास, पिछली खंड में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार होगा। साथ ही, वे सभी विवादित मामलों का निपटारा करेंगे जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए गए हों और जिनके बारे में पहले ही सूचना दी जा चुकी हो।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, मामला जो भी हो, संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष (या पक्षों की सहमति से उनके द्वारा तय किया गया कोई और समय) के भीतर अपना फैसला देना होगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्ष आपसी सहमति से विवाद या मतभेद का निपटारा कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन जमा करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों को, मामला जो भी हो, समझौते के आधार पर अपना फैसला देना होगा।

ऐसे किसी भी मामले में, संदर्भ और अवार्ड से संबंधित खर्चों के बारे में फैसला संबंधित मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा। वे खर्च की राशि तय कर सकते हैं या इसे पक्षकारों के बीच बांटने का निर्देश दे सकते हैं और यह भी तय करेंगे कि यह खर्च कौन वहन करेगा, किसे भुगतान किया जाएगा और किस तरह से भुगतान किया जाएगा।

यह सबमिशन भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए एक अनुरोध माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के कारण काम में देरी नहीं करेगा, बल्कि वह पूरी सावधानी से काम जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय ठेकेदार को काम करते समय बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचाएगा। नियोक्ता और ठेकेदार इस खंड के तहत मध्यस्थता को संविदा के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए एक शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं।

33. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार:

नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह काम का तकनीकी निरीक्षण किसी भी व्यक्ति या संगठन से करवा सकता है, जिसे नियोक्ता नियुक्त करता है। साथ ही, वह ठेकेदार के अंतिम बिल की भी जांच कर सकता है, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, सारांश आदि शामिल होंगे। यदि इस जांच या किसी अन्य तरीके से यह पाया जाता है कि कोई राशि अधिक भुगतान की गई है या अधिक प्रमाणित की गई है, तो नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस काम या भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत ठेकेदार द्वारा कहीं और किए जा रहे किसी अन्य काम के लिए ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से वह राशि वसूल कर ले।

34. नियोक्ता कर्मचारी को दिया गया मुआवजा वापस पाने का हकदार है:

यदि किसी कारण से, नियोक्ता को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी कानूनी संशोधन या पुन: अधिनियमन के प्रावधानों के तहत ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी कामगार को मुआवजा देने की बाध्यता होती है, तो नियोक्ता को ठेकेदार से चुकाए गए मुआवजे की राशि वसूल करने का अधिकार होगा और यह उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नियोक्ता इस संविदा या अन्यथा ठेकेदार को देय किसी भी राशि या सिक्योरिटी जमा में से ऐसी राशि या उसका कोई हिस्सा काटकर वसूल कर सकता है। नियोक्ता, ठेकेदार की लिखित अनुरोध पर और सभी खर्चों के लिए नियोक्ता को पूरी सुरक्षा प्रदान करने पर ही उक्त अधिनियम के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

35. काम को छोड़ना:

निविदा स्वीकार करने के बाद, अगर किसी भी कारण से नियोक्ता को पूरा काम या उसका कोई हिस्सा कराने की आवश्यकता नहीं होती है, तो नियोक्ता लिखित में ठेकेदार को सूचित करेगा। ऐसे में ठेकेदार को पूरे काम को पूरा करने से होने वाले किसी भी लाभ या फायदे के लिए कोई मुआवजा या अन्य भुगतान का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

36. अतिरिक्त सामग्री की वापसी:

इस संविदा के किसी भी खंड में उल्लिखित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यदि संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों, परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, तो ठेकेदार को यह सामग्री किफायती तरीके से रखनी होगी और इसका उपयोग केवल संविदा के लिए ही करना होगा। नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसे किसी और को नहीं देना होगा और यदि नियोक्ता को इसकी आवश्यकता हो, तो ठेकेदार को यह सामग्री बैंक इंजीनियर द्वारा निर्धारित मूल्य पर वापस करनी होगी। यह मूल्य सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा और इसमें ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए बिक्री कर, ऑक्ट्रोई और अन्य कर शामिल होंगे। यदि उपरोक्त शर्त का उल्लंघन होता है, तो ठेकेदार पर लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वासघात के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही, ऐसे उल्लंघन से होने वाले सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए भी नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

37. यदि ठेकेदार व्यक्ति है, तो उसकी मृत्यु होने पर नियोक्ता को संविदा समाप्त करने का अधिकार है:

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार (जो एक व्यक्ति है) की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को बिना किसी दायित्व के संविदा समाप्त करने का विकल्प होगा।

38. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न:

ठेकेदार/एजेंसी "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

क) बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि इस शिकायत पर संबंधित कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

ख) ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति इस पर कार्रवाई करेगी।

ग) यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल होते हैं, तो ठेकेदार को कोई भी वित्तीय मुआवजा देने की जिम्मेदारी होगी, उदाहरण के लिए, यदि यह साबित हो जाता है कि ठेकेदार के कर्मचारी ने बैंक के कर्मचारी के साथ लैंगिक हिंसा की है, तो बैंक के कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।

घ) ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी होगी।

39. सीएलसी/प्राधिकरण से लेबर लाइसेंस: -

ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों के तहत बनाए गए नियमों में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

40. गैर-प्रकटीकरण:

ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री या विवरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करते समय उसे पता चले। उसे यह जानकारी हमेशा पूरी तरह गोपनीय रखनी होगी। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय समझेगा, सिवाय उन मामलों के जहां संविदा के तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए इसकी आवश्यकता हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्य से संबंधित कोई भी विवरण प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा। गोपनीय जानकारी के खुलासे से नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त नियमों का पालन न करना ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान की भरपाई का दावा करने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा कि इस संविदा के तहत गोपनीय जानकारी न बताने का दायित्व पूरी तरह से निभाया गया है। गोपनीय जानकारी न बताने और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्त होने के बाद भी लागू रहेंगे।

41. मार्जिनल नोट:

इस दस्तावेज़ और इसके परिशिष्ट में उल्लिखित मार्जिनल नोट केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इनका इस्तेमाल इस दस्तावेज़ और इसके परिशिष्ट की व्याख्या करने के लिए किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को इस संविदा के अनुसार सभी मामलों में काम पूरा करना होगा।

42. ठेकेदार को दिन के काम के अंत में सीढ़ियाँ, सामान्य क्षेत्र और बिल्डिंग के आस-पास का क्षेत्र साफ रखना होगा, ताकि बैंक इंजीनियर पूरी तरह संतुष्ट हो सकें।

43. काम के दौरान जमा हुआ सारा कचरा रोजाना परिसर से हटा दिया जाएगा और परिसर को साफ-सुथरा रखा जाएगा।

44. काम शुरू करने से पहले एक सैंपल लिया जाएगा और बैंक द्वारा सामग्री और विवरण को मंजूरी मिलने के बाद, ठेकेदार अनुमोदित सैंपल के अनुसार काम करेगा और परिशिष्ट में दिए गए समय सीमा के अनुसार पूरा काम समय पर पूरा करेगा। दर तय करते समय, ठेकेदार उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखेगा।

45. काम के लिए ज़रूरी पानी और बिजली की व्यवस्था और उसका खर्च ठेकेदार को खुद वहन करना होगा। हालांकि, बैंक ठेकेदार को परिसर में उपलब्ध पॉइंट से पानी और बिजली लेने की अनुमति दे सकता है। पानी और बिजली के शुल्क क्रमशः काम की लागत का 0.50% और 0.25% होगा। ऐसे मामलों में, ठेकेदार को खुद से इलेक्ट्रिक वायर/एक्सटेंशन बोर्ड, कट-आउट, पाइप वगैरह की व्यवस्था करनी होगी। अगर ठेकेदार या उसके कर्मचारी की गलती से बैंक के किसी उपकरण को नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत/सुधार/बदलाव का खर्च और जोखिम ठेकेदार को ही वहन करना होगा।
46. काम आवश्यकतानुसार सभी ऊंचाई पर किया जाएगा और बताई गई दर में यह सब शामिल होगा।
47. काम पूरा होने के बाद बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र की सफाई का खर्च भी इसी दर में शामिल होगा।

48.ठेकेदार को काम की प्रगति के दौरान और काम पूरा होने तक कार्यस्थल पर एक योग्य और अनुभवी तकनीकी पर्यवेक्षक नियुक्त करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित विवरण इस प्रकार हैं:

क) कार्यस्थल सुपरवाइजर को ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल से संबंधित सभी काम करने का अधिकार होगा, जिसमें ये काम शामिल हैं: नियोक्ता से तारीख के साथ मौखिक/टेलीफोनिक/लिखित आदेश प्राप्त करना, संबंधित निविदा शर्तों में उल्लिखित नियमों के अनुसार नियोक्ता की उचित पूर्व लिखित सहमति से अतिरिक्त/बदलाव वाले काम करना।

ख) बैंक/नियोक्ता की मर्जी के अनुसार, काम पूरा होने तक ठेकेदार सुपरवाइजर को बिना किसी शुल्क के बैंक परिसर/हॉलिडे होम (उपलब्धता के अनुसार) में अस्थायी रूप से रहने और निर्माण सामग्री रखने की सुविधा दी जा सकती है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इस जगह का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ठेकेदार को तुरंत यह जगह खाली करने के लिए कहा जा सकता है।

ग) सुपरवाइजर को सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन दिया जाएगा और वह सभी कामों के लिए ठेकेदार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा: जैसे दैनिक माप लेना, बैंक इंजीनियर के साथ मिलकर कार्यस्थल पर माप लेना, काम का निरीक्षण करने के लिए बैंक अधिकारियों के कार्यस्थल पर आने पर उनकी सहायता करना, बैंक के नियमों के अनुसार कार्यस्थल ऑर्डर बुक और माप बुक पर हस्ताक्षर करना आदि।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त

अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
तारीख: पता:

संपर्क नंबर:

खंड: **6**

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

उपरोक्त संदर्भ में संलग्न दस्तावेज़

उपरोक्त शर्तों में उल्लिखित खंडों का संदर्भ:

दोष दायित्व अवधि:	12 महीने (खंड 18 और 19)
प्रमाणपत्र/ अंतिम बिल की वैधता अवधि	आर.ए. बिल के लिए बिल स्वीकार किए जाने के 1 महीने के अंदर और काम लगभग पूरा होने के बाद फाइनल बिल के लिए बिल स्वीकार किए जाने के 3 महीने के अंदर भुगतान किया जाएगा।
प्रारंभ होने की तिथि:	औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 10वें दिन / कार्यस्थल सौंपे जाने के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो।
पूरा होने की तारीख:	औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 10वें दिन से एक महीने बाद
अस्थायी प्रमाणपत्रों के लिए किए गए कार्यों का मूल्य:	₹ 4.00 लाख
क्षतिपूर्ति की दर:	₹305 प्रतिदिन, जो स्वीकृत निविदा राशि का अधिकतम 10% होगा।
प्रतिधारण प्रतिशत:	हर बिल से 5%
दोष दायित्व अवधि के बाद किस्त:	100% प्रतिधारण राशि
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी:	5% (खंड-10 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)
ई-निविदा की वैधता	तकनीकी – वाणिज्यिक बोली (टेक्नो-कमर्शियल बोली) खोलने की तारीख से 45 दिन
सभी विवादों पर संबंधित न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू होगा।	नई दिल्ली
अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 3 महीना
सिक्योरिटी डिपॉजिट की किस्त वापस की जानी है	दोष उत्तरदायित्व अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद 100% प्रतिधारण राशि जारी कर दी जाएगी।
अस्थायी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि	1 महीना

अंतिम प्रमाणपत्र की वैधता अवधि	3 महीना

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
तारीख: पता:

फोन/मोबाइल नंबर:

खंड: 7

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

कार्य का विस्तृत विवरण

खंड क – सामान्य

काम के दायरे में भारतीय रिज़र्व बैंक के "आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण" का कार्य करना और उसे पूरा करना शामिल है। यह कार्य निविदा दस्तावेज़ के भाग-II (बीओक्यू) में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार और बैंक इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।

संविदा:

संविदा का प्रारूप "समझौते के नियम" के अनुसार होगा। निम्नलिखित नियम ठेकेदार की जिम्मेदारियों को सीमित करने के बजाय उन्हें और बढ़ाते हैं।

ठेकेदार को अपने रेट में ये शामिल करने होंगे:

ठेकेदार को इस खंड में सूचीबद्ध सभी आइटम को अपने रेट में शामिल करने होंगे।

ठेकेदार को कार्यस्थल का निरीक्षण करना है:

ठेकेदार को निर्माण स्थल का दौरा करना चाहिए और वहां की मौजूदा सड़कों या संचार के अन्य साधनों की स्थिति, काम की मात्रा और सामग्री उपलब्ध कराने की सुविधाओं का निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही, काम को पूरा करने से संबंधित सभी बातों की जानकारी उसे खुद लेनी होगी। इन बातों में किसी गलतफहमी या गलत जानकारी या विवरण की कमी के कारण कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। यह निविदा जमा करने के लिए जानकारी प्राप्त करने, कार्यस्थल का दौरा करने या निविदा तैयार करने में ठेकेदार द्वारा किए गए सभी खर्चों का वह स्वयं वहन करेगा और इसके लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कार्यस्थल तक पहुँच:

ठेकेदार को कार्यस्थल तक पहुँच के लिए रास्ता बनाने का खर्च अपने रेट में शामिल करना होगा।

निरीक्षण के लिए प्रवेश:

काम की प्रगति और रखरखाव की अवधि के दौरान, ठेकेदार को हमेशा सीढ़ी, पैदल रास्ता आदि सहित उचित पहुंच के साधन उपलब्ध कराने होंगे और बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधियों द्वारा काम के निरीक्षण और माप में आवश्यक सहायता देनी होगी।

बिजली और पानी की आपूर्ति:

यह व्यवस्था ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देशों और संविदा की विशेष शर्तों के खंड के अनुसार की जाएगी। वह अनुरोध करने पर अन्य ठेकेदारों को भी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा, लेकिन कंपेशेसन का शुल्क बैंक इंजीनियर द्वारा तय किया जाएगा।

यदि बैंक से पानी और बिजली ली जाती है, तो यह एक ही बिंदु पर उपलब्ध कराई जाएगी और बिल/बिलों से पानी के शुल्क के लिए कुल 0.50% और बिजली के शुल्क के लिए 0.25% राशि वसूल की जाएगी।

गेटकीपर और चौकीदार:

कार्यस्थल का काम शुरू होने के बाद ठेकेदार को अपने खर्च पर, रविवार और छुट्टियों सहित

सभी दिनों में, दिन-रात काम, सभी सामग्री, श्रमिकों और आम जनता की सुरक्षा, निगरानी और रोशनी के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

सामग्री के लिए भंडारण स्थान:

ठेकेदार को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्री, टूल और उपकरणों के भंडारण और सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएँ खुद करनी होंगी। ये सामग्री धूप, हवा, बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से खराब हो सकती है। हालांकि, बैंक सामग्री को स्टोर करने के लिए उचित व्यवस्था के साथ जगह उपलब्ध कराएगा।

ऐसे सभी क्षेत्रों को साफ कर दिया जाएगा और संविदा पूरा होने के बाद पूरा क्षेत्र बैंक इंजीनियर को संतुष्ट करने लायक स्थिति में होना चाहिए।

कार्यस्थल पर रखे सभी सामान, जैसे ईंटें, कंक्रीट आदि, इस तरह जमा किए जाएँ ताकि उनकी मात्रा की आसानी से और जल्दी जांच की जा सके। साथ ही, आईएस कोड की आवश्यकताओं के अनुसार संरचना पर ज़्यादा भार न पड़े, इसलिए सामान को एक ही जगह/क्षेत्र में नहीं जमाना चाहिए।

परिवहन लागत:

ठेकेदार को इस काम के लिए कार्यस्थल पर और बैंक इंजीनियर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्थानों पर आवश्यक सामग्री की ढुलाई, उतार-चढ़ाव, ढेर लगाना और भंडारण की सभी लागत अपने खर्च में शामिल करनी होगी।

ठेकेदार को कार्यस्थल पर काम के लिए आवश्यक सभी सामग्री और मशीनों के परिवहन की लागत भी अपने मूल्य में शामिल करनी होगी, जैसा कि बैंक के प्रभारी-इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है।

निविदा में शामिल नहीं होने वाले आइटमों के लिए दरें:

मात्रा शेड्यूल में शामिल नहीं होने वाले आइटमों की दरें बैंक इंजीनियर द्वारा तय की जाएंगी, जैसा कि संविदा शर्तों के बदलाव वाले खंड में बताया गया है।

दर में शामिल होगा:

उल्लेखित दरें सभी ऊंचाई और गहराई तथा तैयार कार्य के लिए होंगी।

अन्य कामों के लिए ठेकेदारों से जानकारी प्राप्त करें:

ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्देशित अन्य ठेकेदारों से अपने काम से संबंधित सभी विवरण, जैसे काम करने का क्रम और जहां कटिंग, छेद या इसी तरह की चीजें करनी होंगी, आदि की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि ठेकेदार इन विवरणों की पहले से जानकारी नहीं लेता है और बाद में काम करते समय कोई गलती होती है, तो पहले से किए गए काम को दोबारा करने के लिए अतिरिक्त खर्च का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फोरमैन और ट्रेडमैन:

सभी कारीगर अनुभवी होने चाहिए और उनके पास काम के लिए उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। यदि इंजीनियर-इन-चार्ज/आर्किटेक्ट को लगता है कि कोई अतिरिक्त उपकरण आवश्यक है, तो ठेकेदार को काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक विशेष या सामान्य उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।

ऐसे सभी कुशल श्रमिक एक अनुभवी और योग्य पर्यवेक्षक के निर्देशन में काम करेंगे, जो इस काम से संबंधित सभी कार्यों को पढ़ और समझ सके। साथ ही, ठेकेदार को संविदा की शर्तों में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरचनात्मक डिजाइन पर्याप्त है और वर्किंग ड्राइंग उपलब्ध कराए जाएं:
बैंक द्वारा दिया गया डिज़ाइन केवल एक उदाहरण है, यह पूर्ण नहीं है। आवश्यकतानुसार, ठेकेदार एक अनुभवी और प्रतिष्ठित स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नियुक्त करेगा और डिज़ाइन को उसकी मंजूरी दिलाएगा। नियुक्त कंसल्टेंट दीवार के स्ट्रक्चर के लिए वर्किंग ड्राइंग भी देगा, जिसमें आवश्यकतानुसार उचित रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग भी शामिल होगी। दीवार के आस-पास के पेड़ों का उचित कार्यस्थल सर्वे और सीमांकन भी किया जा सकता है। काम करते समय, यह भी हो सकता है कि अगर पेड़ बाउंड्री वॉल के बहुत पास हैं, तो दीवार के लिए डिज़ाइन की गई एमएस ग्रिल को कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार संशोधित/स्थानांतरित करना पड़े। उद्धृत दर में उपरोक्त सभी शामिल होंगे।

कार्यस्थल की सफाई:
काम पूरा होने के बाद, ठेकेदार अपने खर्च पर नियोक्ता और नगर निगम या अन्य सरकारी अधिकारियों की पूरी संतुष्टि के अनुसार कार्यस्थल से सभी मलबा और बचे हुए सामान हटाएगा।

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उपयोग और रहने के लिए भवन/स्थल की तैयारी:
ठेकेदार को पूरा काम अच्छी तरह से जांचना होगा और सभी कमियों को ठीक करना होगा। जांच पूरी होने के बाद, ठेकेदार लिखित रूप में नियोक्ता को यह सूचित करेगा कि काम पूरा हो गया है और बैंक इंजीनियरों द्वारा जांच के लिए तैयार है।
काम पूरा होने के बाद, ठेकेदार नियोक्ता की संतुष्टि तक, पूरे परिसर/भवन के आस-पास की जगह और बगीचे के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखेगा।

वाउचर:
ठेकेदार को नियोक्ता की मांग पर वाउचर देना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री निर्दिष्ट मानकों के अनुसार है और यह भी बताना होगा कि किस दर पर सामग्री खरीदी गई है। इससे बाद में किए जाने वाले गैर-निविदा आइटम का रेट विश्लेषण किया जा सकेगा।

सुरक्षा:
ठेकेदार को पूरा काम पूरा होने तक और इंजीनियर-इन्चार्ज के संतुष्ट होने तक, काम के दौरान सभी कार्यों को ठीक से ढककर और उनकी सुरक्षा करनी होगी।

मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमने निविदा देने वालों के लिए दिए गए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ लिया है और समझ लिया है।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
तारीख: पता:

संपर्क नंबर:

खंड: 8

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट संख्या D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

सामग्री

1. सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी तथा संबंधित विनिर्देश के अनुरूप होगी।
2. ऑर्डर देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूनों को अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदित नमूना बैंक इंजीनियर के पास जमा किया जाएगा।
3. मीट्रिक आकार में सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में, बैंक इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से एफपीएस इकाइयों में निकटतम आकार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही कोई छूट ली जाएगी।
4. यदि बैंक इंजीनियर द्वारा मांग की जाती है तो ठेकेदार को निर्माता या सामग्री आपूर्तिकर्ता से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि कार्य उनकी सामग्रियों का उपयोग करके और उनकी सिफारिशों के अनुसार किया गया है।
5. विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों को उचित रूप से संग्रहीत किया जाएगा और ठेकेदार कार्य के लिए आवश्यक होने तक तथा कार्य पूरा होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
6. नियोक्ता/किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों को उचित रूप से संग्रहीत किया जाएगा और ठेकेदार कार्य के लिए आवश्यक होने तक और कार्य पूरा होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
7. जब तक कि मात्राओं या विशेष शर्तों की अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी आयाम आदि नीचे निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(क) सीमेंट:
सीमेंट, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाएगा। सीमेंट को वजन के अनुसार और पूरे बैग में मापा जाएगा, और प्रत्येक अन्डिस्टर्ब और सीलबंद 50 किलोग्राम बैग का आयतन 34.72 लीटर (1.2 घन फुट) माना जाएगा।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक बैग में सीमेंट की पूरी मात्रा हो। जब आंशिक बैग की आवश्यकता हो, तो सीमेंट को वज़न के हिसाब से लिया जाना चाहिए या मापने वाले बक्सों में मापा जाना चाहिए।

बैंक द्वारा अनुमोदित सीमेंट के अलावा किसी अन्य ब्रांड के सीमेंट का उपयोग कार्यों में नहीं किया जाएगा और बैंक की लिखित स्वीकृति के बिना आपूर्ति का स्रोत नहीं बदला जाएगा। यह दर्शाने के लिए कि सीमेंट पूरी तरह से विनिर्देशों का अनुपालन करता है, परीक्षण प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इसके बावजूद, बैंक अपने विवेकानुसार, यह आदेश दे सकता है कि कार्यस्थल पर लाए गए सीमेंट, जिसे वे किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त या संदिग्ध गुणवत्ता का मानते हैं, का किसी अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण किया जाए और उसकी मजबूती के नए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएँ।

सीमेंट को मौसमरोधी शेड में, लकड़ी के तख्तों और फर्श के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि नमी या बाहरी पदार्थों के प्रवेश से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इसे इस तरह संग्रहित किया जाना चाहिए कि सीमेंट को प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में निकाला और उपयोग किया जा सके, अर्थात पहले प्राप्त होने

पर पहले उपयोग किया गया। खराब और/या जमे हुए सीमेंट का उपयोग कार्य में नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे तुरंत कार्यस्थल से हटा दिया जाएगा। हालाँकि, गोदाम में रखे सीमेंट के उपयोग की अनुमति वास्तुकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

ठेकेदार द्वारा प्राप्त एवं उपभोग किए गए सीमेंट का दैनिक रिकार्ड अनुमोदित प्रपत्र में रखा जाएगा तथा बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) सीमेंट मोर्टार:

सीमेंट मोर्टार, मात्रा अनुसूची में प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए निर्दिष्ट अनुपात में होगा। इसमें पोर्टलैंड सीमेंट और रेत शामिल होगी। सीमेंट और रेत को निर्दिष्ट अनुपात में मापें और फिर गाढ़ा घोल बनाने के लिए उसमें पर्याप्त पानी मिलाएँ। इस प्रकार प्राप्त घोल को सूखे सीमेंट और रेत के मिश्रण में मिलाएँ और आवश्यकतानुसार और पानी मिलाकर एक समान रंग का काम करने योग्य, सजातीय मोर्टार बनाने के लिए अच्छी तरह मिलाएँ। ऐसे मोर्टारों को मिलाने के लिए आमतौर पर यांत्रिक मिक्सर का उपयोग किया जाएगा। यदि हाथ से मिलाने की अनुमति है, तो यह पक्के प्लेटफॉर्म पर किया जाना चाहिए।

(ग) रेत:

रेत प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कुचले हुए पत्थर से बनी होनी चाहिए, यदि अनुमति हो, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, स्वच्छ, तीक्ष्ण, कठोर, टिकाऊ, सु-श्रेणीबद्ध और धूल, मिट्टी, बड़े कंकड़, नमक, कार्बनिक पदार्थ, लोम माइका या अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए। रेत में सभी हानिकारक पदार्थों का प्रतिशत भार के अनुसार 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हानिकारक पदार्थों के प्रतिशत को स्वीकार्य सीमा तक कम करने का निर्देश दिया जाए, तो रेत को धोया जाना चाहिए। रेत में नमक का अंश नहीं होना चाहिए और इसका परीक्षण किया जाना चाहिए और नमक का अंश होने पर रेत को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
बारीक एग्रेगेट को साफ, कठोर, सूखी सतह पर सावधानीपूर्वक रखा जाएगा, ताकि यह हानिकारक बाहरी पदार्थों के साथ मिश्रित न हो जाए, यदि ऐसी सतह उपलब्ध न हो तो नालीदार लोहे की चादरों या ईंट के फर्श या पतली कंक्रीट की एक पतली परत के तख्तों का एक प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।

(घ) कोर्स एग्रीगेट:

इसे ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, ट्रैप, बेसाल्ट या इसी प्रकार के अनुमोदित पत्थरों को स्थानीय खदान से कुचलकर प्राप्त किया जाएगा।
सीमेंट के साथ मिश्रित होने पर कोर्स एग्रीगेट रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा और आकार में घनाकार होगा तथा उसमें नरम, भुरभुरे, पतले, छिद्रयुक्त, परतदार या परतदार टुकड़े नहीं होंगे। यह धूल और किसी भी अन्य बाहरी पदार्थ से मुक्त होगा।
सभी आरसीसी कार्यों के लिए कोर्स एग्रीगेट का आकार 20 एम एम और डाउन गेज होगा।

(ङ) फिनिशिंग और पेंटिंग:

पेंटिंग और रंग धुलाई का कार्य इंजीनियर की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।

फिनिशिंग और पेंटिंग कार्यों के लिए सामान्य आवश्यकताएँ:

1. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, संपूर्ण पेंटिंग कार्य उच्च गुणवत्ता वाले पेंट से प्रथम श्रेणी में किया जाएगा। केवल निर्माता से प्राप्त, बिना किसी मिलावट के, तैयार मिश्रित कम्प्यूटरीकृत फॉर्मूलेशन पेंट (बाहरी ग्रेड) का ही उपयोग किया जाएगा।
2. केवल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित रंगों का ही उपयोग किया जाएगा। बाहरी/बाह्य पेंटिंग के लिए,

नमूना क्षेत्र तैयार किया जाएगा और इंजीनियर से अनुमोदित शेड प्राप्त किया जाएगा।

3. यदि किसी कारण से थिनर का उपयोग किया जाना है तो वह निर्माता द्वारा अनुशंसित ब्रांड का होना चाहिए और बैंक इंजीनियर की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

4. ठेकेदार द्वारा अनुमोदित पेंट, तेल या वार्निश को उनके मूल सीलबंद कंटेनर में कार्यस्थल पर लाया जाएगा। सामग्री एक बार में पर्याप्त मात्रा में लाई जाएगी ताकि पूरे कार्य या कम से कम दो सप्ताह के कार्य के लिए पर्याप्त हो। सामग्री को ठेकेदार और प्रभारी इंजीनियर की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए।

5. धूल की समस्या को रोकने और फर्नीचर व महंगे उपकरणों को दाग-धब्बों से बचाने के लिए उपयुक्त आवरण, तिरपाल आदि उपलब्ध कराकर विशेष सावधानी बरती जाएगी। कार्य निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा के बिना पूरा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा संपत्ति को पहुँचाई गई किसी भी क्षति की भरपाई ठेकेदार को अपने खर्चे पर करनी होगी।

6. बाहरी सतह की पेंटिंग ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं की जानी चाहिए।

7. यदि इंजीनियर द्वारा निर्देश दिया जाए तो बीओक्यू में निर्धारित कोटों की संख्या के अतिरिक्त बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त कोट लगाने होंगे, जब तक कि सतह चिकनी और एकसमान फिनिश न दे दे।

8. ठेकेदार को दीवार की फिनिशिंग और पेंटिंग कार्य के लिए डबल मचान लगाने की लागत को शामिल नहीं करना चाहिए।

11. पेंटिंग के लिए तैयार सतह को पेंटिंग शुरू करने से पहले निरीक्षण के बाद प्रभारी इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार, प्रत्येक कोट के लिए भी अगले कोट पर काम शुरू करने से पहले इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12. जहाँ ऐसा निर्धारित हो, वहाँ पेंटिंग स्प्रेइंग द्वारा की जाएगी। इस प्रकार के कार्य के लिए कुशल और अनुभवी कारीगरों को नियुक्त किया जाएगा। स्प्रेइंग केवल तभी की जानी चाहिए जब सुखाने की स्थिति बनी रहे।

13. बचे हुए पेंट को स्टॉक टिन में वापस नहीं डालना चाहिए। जब इस्तेमाल में न हो, तो कंटेनरों को ठीक से बंद रखना चाहिए।

16. मापों का रिकॉर्ड पेंट की गई सतहों की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर किया जाएगा। इन सतहों को मीटर में मापा जाएगा और भुगतान की मात्रा वर्ग मीटर में गणना की जाएगी। प्लास्टर की गई सतह/ईंट की चिनाई/आरसीसी सतह की बाहरी पेंटिंग के लिए किसी गुणांक पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. पेंटिंग, वार्निशिंग, जॉइनरी और स्टील वर्क आदि की ऑयलिंग के कार्यों को मापते समय, मात्रा मापन/देय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए केवल समतल क्षेत्रफल पर ही विचार किया जाएगा। ग्रिल वाले हिस्से के लिए, प्रत्येक पक्ष के लिए 0.5 का गुणांक माना जाएगा।

20. आरसीसी, प्लास्टरिंग और मेसनरी कार्य के लिए आईएस456 में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार न्यूनतम सात दिनों का क्योरिंग किया जाएगा।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

तारीख: पता एवं संपर्क:

खंड-9

स्वीकृत ब्रांड/विनिर्माता के सामग्रियों की सूची

(नोट: बैंक को नीचे दी गई सूची में से कोई भी सामग्री/ब्रांड चुनने का अधिकार है।)

क्रम सं.	समग्री	विनिर्माता / ब्रांड
1	कीड़ों से बचाव केमिकल	(क्लोरपाइरीफोस इमल्सीफायेबल कंसंट्रेट) एनओसीआईएल या अनुमोदित समकक्ष
2	सेरामिक/विट्रिफाइड टाइलें	जॉनसन, आरएके, सोमानी, निटको, काजारिया या इसी तरह का कोई अन्य अनुमोदित ब्रांड।
3	प्लाईवुड	सेंचुरी, ग्रीन या अनुमोदित समकक्ष।
5	वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड और टाइल लगाने का केमिकल	पिडिलाइट, सिका, फोसरोक, बालेन्डुरा, सेंट गोबेन, मैक बाउचमी या अनुमोदित समकक्ष
6	सीमेंट	अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी या अनुमोदित समकक्ष
7	सीपीवीसी पाइप	एस्ट्रल, सुप्रीम या अन्य समान शब्द
8	सीपी फिटिंग	जैक्वेर, सेरा, हिन्ड्वेयर या इसी तरह के ब्रांड
9	मॉड्यूलर किचन	गॉडरेज, स्लीक या इसी तरह का कोई अन्य ब्रांड
10	वुडेन फ्लोरिंग	वेलस्पन या अनुमोदित समकक्ष

पेंट और प्राइमर के स्वीकृत ब्रांड और मॉडल की सूची

कंपनी का नाम	ऑयल बाउंड डिस्टेंपर	सिंथेटिक इनेमल पेंट	आंतरिक प्राइमर	स्टील प्राइमर	एक्रिलिक इमल्शन पेंट सिलिकॉन एडिटिव्स (बाहरी सतह के लिए)	बाहरी प्राइमर
1.	2.	3.	4.	6.	**7.**	**8**
कंसई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड	ब्यूटी एक्रिलिक डिस्टेंपर	नेरोलैक सिंथेटिक हाई-ग्लास इनैमल पेंट	प्राइमोलाइट इंटीरियर प्राइमर	पाम ट्री रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर	एक्सेल टॉप गार्ड	प्रीमियम प्राइमर एसटी
एशियन पेंट्स	ट्रैक्टर सुप्रीमा	अपकोलाइट प्रीमियम ग्लास इनैमल	एशियन इंटीरियर प्राइमर	एशियन रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर	एपेक्स अल्टीमा सुप्रीमा	एशियन एक्सटीरियर प्राइमर
बर्जर पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	कमांडो एक्रिलिक पेंट	लुक्सोल हाई ग्लास इनैमल	बर्जर डब्ल्यूटी अंदरूनी दीवारों के लिए प्राइमर	बर्जर आर.ओ.पी.	वेदर कोट - लंबी लाइफ - 10 (सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ)	वेदर कोट एक्सटीरियर प्राइमर

खंड-10

परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट संख्या D1/55 में फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

जबकि
भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, ने अपने भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) के माध्यम से, मेसर्स .....(ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे) को उक्त प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा बाध्य है कि संविदा में निहित नियम और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए कुल ₹..... (रुपये.....
मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि आरबीआई को प्रस्तुत करे।

हम, ...(बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार मेसर्स ..... के अनुरोध पर, संविदा की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में आरबीआई को ..... रुपये तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी निम्न का साक्ष्य है

1. हम ..... (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व निभाते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने संविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के .....(केवल ..... रुपए) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित

निष्पादन के लिए परफॉर्मेंस गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता .....(केवल ..... रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पूर्वोक्त रु. .....(रु..... मात्र) तक की राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांग करने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर करेंगे जिसमें कहा गया हो कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई से प्राप्त नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हम किसी भी तरह से उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद/विवाद उत्पन्न हो और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि –

क)उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम व शर्त के अनुपालन में, या ठेकेदार को समय देने या किसी भी प्रकार की रियायत दिखाने में, या उससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन, हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा रुपये ..... (केवल रुपये .....) तक की राशि के भुगतान द्वारा ही पूरी होगी।

ख)इन विलेखों के अंतर्गत हमारी देयता रुपये .....(रुपये ..... मात्र) से अधिक नहीं होगी।

ग)इस समझौते के तहत हमारी देनदारी हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से किसी भी अक्षमता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विचलन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

घ)यह गारंटी ..... (संविदा की समाप्ति के 60 दिन बाद) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए यहां निहित समान नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

ङ)इन विलेखों के अंतर्गत हमारी देयता तब समाप्त हो जाएगी यदि ये विलेख ऊपर दिए गए अनुसार ..... को नवीनीकृत नहीं हो जाते या उस दिन नवीनीकृत नहीं हो जाते, जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र ही निर्णायक प्रमाण है, जो भी तिथि बाद में हो, लागू होगा। जब तक बैंक गारंटी की समाप्ति तिथि या किसी विस्तारित अवधि से छह महीने के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा, वाद या कार्रवाई दायर नहीं की जाती, तब तक इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैं/हम बैंक द्वारा विधिवत् अधिकृत होकर वर्ष.....के .....माह के ..... दिन

इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं तथा मुहर लगाई है।

.....(बैंक का नाम) के लिए एवं की ओर से.....

प्राधिकृत बैंक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर:
पदनाम
बैंक का स्टांप/सील
उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और निम्नलिखित की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पता .....

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार को सत्यापित किया जाएगा)

भाग – II की प्रस्तावना

उद्धृत की गई दर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1.	निविदा के लिए बोली लगाने से पहले कार्यस्थल का दौरा करना, कार्य के बारे में जानकारी एकत्र करना और कार्य के दायरे को समझना।
2.	कार्य के लिए आवश्यक पानी और बिजली की व्यवस्था और लागत ठेकेदार को स्वयं वहन करनी होगी। हालाँकि, बैंक ठेकेदार को परिसर से पानी और बिजली एक ही स्थान पर ले जाने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। इसके लिए, **सभी बिलों से संविदा मूल्य का 0.50% की दर से जल शुल्क और 0.25% की दर से विद्युत शुल्क** काटा जाएगा। लेकिन इस मामले में ठेकेदार को कटआउट सहित उपयुक्त लंबाई के बिजली के तार/एक्सटेंशन बोर्ड की व्यवस्था करनी होगी। यदि ठेकेदार बैंक के फ्लैट से बिजली का उपयोग करता है, तो उसे कटिंग मशीन आदि की व्यवस्था बैंक के मीटर और तारों के भार के अनुसार करनी होगी। यदि कार्य के कारण बिजली की लाइन/मीटर को कोई नुकसान होता है, तो ठेकेदार को उसे स्वयं अपने खर्चे पर ठीक कराना होगा, अन्यथा बैंक ठेकेदार के बिल/सुरक्षा जमा से नुकसान की लागत वसूल करेगा।
3.	ठेकेदार को प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर केयरटेकर/बैंक के इंजीनियर की पूर्ण संतुष्टि तक कॉमन एरिया की सफाई और पोछा लगाने की व्यवस्था करनी होगी तथा बैंक परिसर के बाहर मलबे के संग्रहण और निपटान की भी व्यवस्था करनी होगी तथा कर्मचारियों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए स्थानीय नगरपालिका के मानदंडों के अनुसार सभी सीसे और लिफ्ट सहित दैनिक कार्य के बाद कार्यस्थल को साफ रखना होगा।
4.	उपर्युक्त कार्य हेतु सामग्रियों के परीक्षण हेतु व्यवस्था, परिवहन आदि के लिए आवश्यक शुल्क, उनकी बनावट, गुणवत्ता, रंग, आकार आदि के संदर्भ में, कोट की गई दरों में शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त कार्य में केवल अनुमोदित सामग्रियों का ही उपयोग किया जाएगा।
5.	ठेकेदार को कोट की गई दरों में सभी अपव्यय आदि को ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
6.	सभी स्तरों और ऊंचाइयों पर संतुष्टि के साथ कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र तक पहुंच के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना।
8.	कार्य के दायरे से संबंधित पूरे कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर एक योग्य पर्यवेक्षक की सेवा प्रदान करना अर्थात (i) कार्यस्थल पर काम करने के लिए बैंक इंजीनियर से निर्देश प्राप्त करना (ii) बिलों के प्रमाणीकरण के लिए अथॉरिटी (iii) जब भी आवश्यक हो, कार्य के संबंधित दायरे में स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
9.	ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी नियमों का पालन करते हुए किए गए सभी लागतों और शुल्कों का प्रावधान किया जाएगा। कोट की गई दरों में सभी लागू कर, शुल्क, ठेकेदार का लाभ, ओवरहेड आदि शामिल होंगे।
10.	दीवारों में सभी छेद केवल इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कटर का उपयोग करके किए जाएंगे।
11.	निविदा के कार्य की विभिन्न मदों के लिए नियोक्ता द्वारा अनुमोदित दरें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दोष दायित्व अवधि सहित परियोजना के पूरा होने तक वैध रहेंगी।

दिनांक: **मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संपर्क नं.:**

स्थान**:**

भाग-II कीमत बोली (प्राइस बिड)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, नई दिल्ली
मात्रा विवरण

आरबीआई कॉलोनी, रवींद्र नगर, नई दिल्ली में फ्लैट नंबर D1/55 के फ्लोरिंग और किचन का नवीनीकरण

क्रम स.	मद विवरण	मात्रा	यूनिट	दर (जीएसटी और सीपीओएच सहित)	राशि = मात्रा * दर
1	**मॉड्यूलर किचन - काउंटर के नीचे स्टोरेज कैबिनेट:** मॉड्यूलर टाइप गैल्वनाइज्ड पाउडर कोटेड स्टील/ई-इलेट कैबिनेट बॉक्स में फैक्ट्री में बने मॉड्यूलर किचन कैबिनेट उपलब्ध कराना और लगाना। इसमें खुलने वाले शटर और 0.6 एम एम बॉडी पैनल और 1.2 एम एम मोटी गैल्वनाइज्ड शीट के हॉरिजॉन्टल फ्रेम से बने पर्याप्त संख्या में ड्रॉअर होंगे। कम्पोनेंट को ड्यूपॉन्ट, कांसाई नेरोलैक जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पाउडर से पाउडर कोटिंग किया जाएगा। इसकी ड्राई फिल्म की मोटाई 40 से 60 माइक्रोन और पेंसिल हार्डनेस 2 एच न्यूनतम होनी चाहिए। यह एम/एस गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित ब्रांड का होना चाहिए। पाउडर कोट का टेक्सचर मैट होगा और यह दिखने में भी वैसा ही होगा। सभी शेल्फ को अच्छी क्वालिटी के एसएस पिन पर लगाया जाएगा और ज़रूरत के अनुसार अलग-अलग ऊंचाई पर एडजस्ट किया जा सकेगा। शटर और ड्रॉअर का फैशिय कम से कम 18 एम एम मोटाई का बीडब्ल्यूपी मरीन ग्रेड लैमिनेट होगा, दोनों तरफ 18 एम एम चौड़ा 2 एम एम मोटा पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग होगा। हर शटर को दो बेहतरीन क्वालिटी के सीईडी कोटेड सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग हिंज (ब्लूम, हेटीच या इसी तरह के ब्रांड) से स्टील बॉक्स/कार्केस से लगाया जाएगा। ये शटर गोदरेज या इसी तरह के ब्रांड के 128 एम एम पिच वाले हैंडल के साथ आएंगे। फिनिश्ड कंपोनेंट्स को क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर, एडहेसन और इम्पैक्ट टेस्ट के लिए टेस्ट	6.32	एसक्यूएम		

	किया जाएगा, जिससे किचन की लाइफ बढ़ेगी। शेल्फ 0.6 एम एम बॉडी पैनल और 1.2 एम एमएम एम मोटी पाउडर कोटेड गैल्वनाइज्ड स्टील के होंगे, 12 एम एम मोटाई का बेयरिंग एंड सपोर्ट मोल्डिंग और एसएस-304 ग्रेड की वायर बास्केट होगी। कैबिनेट बॉक्स और शटर को स्टैटिक लोड टेस्ट, शेल्फ डिफ्लेक्शन टेस्ट जैसे टेस्ट पास करने होंगे।				
	मॉड्यूलर किचन एक्सेसरीज़ (गोडरेज, हेटीच या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड) को ड्रॉअर/कैबिनेट में उचित तरीके से लगाया जाएगा। नीचे और पीछे की शेल्फ के पैनल 0.6 एम एम मोटाई के होंगे। फ्लोर यूनिट के कैबिनेट बॉक्स 100 एम एम ऊँचाई के वर्टिकल एडजस्टेबल लेग (हेटीच या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड) से सपोर्टेड होंगे, जिन पर ब्रश्ड एल्युमीनियम फिनिश वाला पीवीसी स्किर्टिंग (रेहौ या इसी तरह का ब्रांड) लगाया जाएगा। यूनिट को सही साइज़ के मेटल स्क्रू और रॉ प्लग का उपयोग करके फ्लोर/दीवार/स्लैब से फिक्स किया जाएगा। माप और भुगतान के लिए केवल सामने का हिस्सा ही गिना जाएगा। कैबिनेट बॉक्स का साइज़ 400X560X710 एम एम से 1000X560X710एम एम (लगभग) के बीच होगा और कार्यस्थलकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें जोड़ा जाएगा। यह सब काम बैंक के इंजीनियर-इन्चार्ज के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।				
2	**मॉड्यूलर किचन - ओवरहेड स्टोरेज वॉल यूनिट:** गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या इसी तरह के किसी अनुमोदित ब्रांड के गैल्वनाइज्ड पाउडर कोटेड स्टील/ई-इलिएट कैबिनेट बॉक्स में फैक्ट्री में बने मॉड्यूलर किचन की आपूर्ति और फिटिंग। इसमें खुलने वाले शटर, 0.6एम एम मोटाई के बॉडी पैनल और 0.0 स्पैंगल्स वाली 1.2 एम एम मोटी गैल्वनाइज्ड शीट के हॉरिजॉन्टल फ्रेम होंगे। कंपोनेंट्स को डुपॉन्ट, कांसाई नेरोलैक या इसी तरह के किसी अनुमोदित ब्रांड के उच्च गुणवत्ता वाले पाउडर से 40 से 60 माइक्रोन की ड्राई फिल्म मोटाई न्यूनतम 2 एच की दृढ़ता सहित . पेंसिल हार्डनेस के साथ पाउडर कोट किया जाएगा। पाउडर कोट का टेक्सचर मैट होगा और उसका लुक भी वैसा ही होगा। सभी शेल्फ अनुमोदित गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील पिन पर रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार अलग-	3.24	एस क्यूएम टी		

	अलग ऊंचाई पर एडजस्ट किए जा सकेंगे। शटर 18 एम एम मोटाई के बी डब्ल्यू पी मरीन प्लाईवुड के होंगे, दोनों तरफ लैमिनेटेड और 18 एम एम चौड़ा 2 एम एम मोटा पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग होगा। प्रत्येक शटर को फ्रेमवर्क/कारकेस से दो उच्च गुणवत्ता वाले सीईडी कोटेड सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग हिंज (ब्लूम, हेटीच या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड के) से लगाया जाएगा। ये हिंज स्टेनलेस स्टील के स्क्रू, कील आदि से लगाए जाएंगे। शटर पर गोदरेज या इसी तरह के अनुमोपित ब्रांड का 128 एम एम पिच वाला फिनिश्ड हैंडल होगा। फिनिश्ड कंपोनेंट्स को महत्वपूर्ण गुणवत्ता मापदंडों, एडहेसन और इम्पैक्ट टेस्ट के लिए टेस्ट किया जाएगा, जिससे किचन की लाइफ बढ़ेगी।				
	शेल्फ 0.6 एम एम बॉडी पैनल और 1.2 एम एम मोटाई वाले हॉरिजॉन्टल पैनल से बने होंगे, जो पाउडर कोटिंग वाले गैल्वनाइज्ड स्टील के होंगे और उनके किनारे 12 एम एम मोटाई का सपोर्टिंग मोल्डिंग होगा। यूनिट को सही साइज़ के मेटल स्क्रू और रॉल प्लग का उपयोग करके दीवार पर लगाया जाएगा। माप और भुगतान के लिए केवल सामने का हिस्सा ही गिना जाएगा। कैबिनेट बॉक्स का साइज़ 300X300X610एम एम से 600X300X610एम एम (लगभग) के बीच होगा और इसे कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार जोड़ा जाएगा। यह सब बैंक के इंजीनियर- इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।				
3	डिश्किट बास्केट सेट (1 बास्केट) उपलब्ध कराना और लगाना। बास्केट का साइज़ 600एम एम x 560एम एम x 90 एम एम जी आई. हो। इसमें 1 पीवीसी कटलरी ट्रे, 1 एस एस एस एस -304 ग्रेड की 450एम एमx560एम एमx90एम एम ऊंचाई वाली बास्केट और 1 एस एस -304 ग्रेड की 450एम एमx560एम एमx145एम एम ऊंचाई वाली बास्केट हो। घटकों को लगाने के लिए आवश्यक साइज़ (लगभग 530एम एम लंबाई) के एस एस स्क्रू भी शामिल हों। मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित कंपनी का सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग टेलीस्कोपिक चैनल इस्तेमाल करें। इसे कार्यस्थल पर उपलब्ध जगह में, बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों और ड्राइंग के अनुसार पूरा करें।	1	प्रत्येक		

4	ट्रेंकिल 600 एम एम वाला 3 ड्रॉअर यूनिट: इस यूनिट की ऊंचाई 1900 एम एम होगी। गैल्वनाइज्ड पाउडर कोटेड स्टील/ई-इलेट कैबिनेट बॉक्स में फैक्ट्री में बने मॉड्यूलर किचन ड्रॉअर बॉक्स और कैबिनेट उपलब्ध कराना और लगाना। इसमें खुलने वाले शटर और पर्याप्त संख्या में ड्रॉअर होंगे। ड्रॉअर 0.6 एम एम मोटाई के बॉडी पैनल और 0.12 एम एम मोटाई के गैल्वनाइज्ड शीट के क्षैतिज फ्रेम से बने होंगे। कंपोनेंट पर ड्यूपॉन्ट, कांसाई नेरोलैक जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पाउडर से 40 से 60 माइक्रोन की मोटाई में पाउडर कोटिंग की जाएगी। पेंसिल हार्डनेस 2H न्यूनतम होनी चाहिए। यह एम/एस गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड का होना चाहिए। शटर और ड्रॉअर का फैशिय 18 एम एम मोटाई का BWP मरीन प्लाईवुड होगा, दोनों तरफ लैमिनेटेड और 18 एम एम चौड़ा 2 एम एम मोटा पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग होगा। प्रत्येक शटर को दो उच्च गुणवत्ता वाले सीईडी कोटेड सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग हिंज (ब्लूम, हेटीच या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड) से स्टील बॉक्स/कार्केस से जोड़ा जाएगा। ये हिंज एस एस स्क्रू, कील आदि से लगाए जाएंगे। शटर पर गोदरेज या इसी तरह के अनुमोदित ब्रांड के 128 एम एम पिच वाले हैंडल लगाए जाएंगे।	**1**	प्रत्येक		
5	एज कॉर्नर यूनिट 1000 एम एम (स्टील): 0.6एम एम (बॉडी पैनल) और 1.2एम एम मोटी (हॉरिजॉन्टल फ्रेम) गैल्वनाइज्ड शीट का कॉम्बिनेशन, जिसमें कोई स्पैंगल न हो। शटर और ड्रॉअर का फैशिए कम से कम 18एम एम मोटाई का BWP मरीन प्लाईवुड ग्रेड का होगा, दोनों तरफ लैमिनेटेड और 18एम एम चौड़ा 2एम एम मोटा पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग होगा। हर शटर को दो उच्च गुणवत्ता वाले सीईडी कोटिंग वाले सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग हिंज (ब्लूम, हेटीच या समकक्ष अनुमोदित ब्रांड) से स्टील बॉक्स/कार्केस से जोड़ा जाएगा, जो आवश्यकतानुसार एस एस स्क्रू, कील आदि से पूरी तरह से फिक्स होगा। इन शटर में गोदरेज या अनुमोदित ब्रांड के 128एम एम पिच वाले आर्क हैंडल होंगे। 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील वायर से बना, Ni Cr प्लेटिंग वाला। लंबे समय तक जंगरोधी क्षमता के लिए सीईडी कोटिंग वाले	**1**	प्रत्येक		

	हेटीच हिंज। आयातित हेटीच ब्रांड के पीवीसी हाइट एडजस्टेबल लेग्स (100एम एम/150एम एम)।				
6	स्विवेल पेंट्री टॉल यूनिट 450 एम एम (स्टील) ऊंचाई 1900 एम एम: 0.6एम एम (बॉडी पैनल) और 1.2एम एम मोटी (क्षैतिज फ्रेम) गैल्वनाइज्ड शीट का संयोजन, बिना किसी स्पैंगल्स के। शटर और ड्रॉअर का फैशिए कम से कम 18एम एम मोटाई का BWP मरीन प्लाईवुड होगा, दोनों तरफ लैमिनेटेड और 18एम एम चौड़ा 2एम एम मोटा पीवीसी एज बैंडिंग/लिपिंग होगा। प्रत्येक शटर को स्टील बॉक्स/कार्केस से दो उच्च गुणवत्ता वाले सीईडी कोटिंग वाले सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग हिंज (ब्लूम, हेटीच या समकक्ष अनुमोदित ब्रांड) से लगाया जाएगा, जो एस एस स्क्रू, कील आदि से मजबूती से जुड़ा होगा। ये शटर गोदरेज या अनुमोदित ब्रांड के 128एम एम पिच वाले आर्क हैंडल से सुसज्जित होंगे। 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील वायर से बना, Ni Cr प्लेटिंग के साथ। लंबे समय तक जंगरोधी क्षमता के लिए सीईडी कोटिंग वाले हेटीच हिंज। पेंट्री यूनिट के साथ आवश्यक संख्या में आंतरिक पेंट्री बास्केट भी दी जाएंगी।	**1**	प्रत्येक		
7	300एम एम x 560एम एम x 500एम एम साइज़ का एस एस -304 ग्रेड का एक प्लेन एस एस वायर बास्केट वाला बोतल पुलआउट बास्केट सेट उपलब्ध कराना और लगाना। इसके साथ ही, घटकों को लगाने के लिए आवश्यक साइज़ के एस एस स्क्रू, सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग बेस वाले टेलीस्कोपिक चैनल/ब्रैकेट (मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित ब्रांड का) भी उपलब्ध कराना। यह सब कार्यस्थल पर उपलब्ध जगह में, ड्राइंग के अनुसार और बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार पूरा करना होगा।	**1**	प्रत्येक		
8	600एम एम साइज़ का जी.आई. और एस एस - 304 ग्रेड का ग्रोसरी बास्केट सेट, जिसमें 90एम एम साइज़ की 1 प्लेन जी.आई. बास्केट और 190एम एम ऊँचाई का 1 प्लेन एस एस वायर हो, उपलब्ध कराना और लगाना। इसके साथ ही, घटकों को लगाने के लिए आवश्यक साइज़ (लगभग 530एम एम लंबाई) के एस एस स्क्रू और मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का	**1**	प्रत्येक		

	सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग टेलीस्कोपिक चैनल या बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज द्वारा अनुमोदित समकक्ष ब्रांड का चैनल भी उपलब्ध कराना। यह सब कार्यस्थल पर मौजूदा जगह में और बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार ड्राइंग के अनुसार पूरा करना होगा।				
9	थाली किट बास्केट सेट उपलब्ध कराना और लगाना: 1 बास्केट (साइज़ 600एम एम x 560एम एम x 90 एम एम) जी.आई., 1 बास्केट (साइज़ 600एम एम x 560एम एम x 90 एम एम) एस एस 304 और 1 बास्केट (साइज़ 600एम एम x 560एम एम x 145एम एम) एस एस -304 ग्रेड की। आवश्यक साइज़ (लगभग 530एम एम लंबाई) के एसएस स्क्रू के साथ घटकों को लगाने के लिए। सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग टेलीस्कोपिक चैनल मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित ब्रांड का उपयोग करें। ड्राइंग के अनुसार और बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर उपलब्ध जगह में पूरा करें।	**1**	प्रत्येक		
10	800एम एम x 560एम एम x 145एम एम साइज़ के 2 सादे स्टेनलेस स्टील वायर बास्केट का सेट, आवश्यक साइज़ (लगभग 530एम एम लंबाई) के एसएस स्क्रू के साथ उपलब्ध कराना और फिट करना। इसके साथ ही, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित कंपनी का सॉफ्ट/ऑटो क्लोजिंग टेलीस्कोपिक चैनल भी उपलब्ध कराना और कार्यस्थल पर उपलब्ध जगह में ड्राइंग के अनुसार और बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार इसे पूरी तरह से फिट करना।	**1**	प्रत्येक		
11	एम/एस गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या उसके समकक्ष अनुमोदित ब्रांड की जीटीपीटी किट (LN कोड-24112005SD00260) उपलब्ध कराना और लगाना। किट का साइज़ 600एम एम x 300एम एम x 50एम एम और मटेरियल एस एस -304 ग्रेड का होगा। इसमें 1 पीवीसी वॉटर कलेक्टिंग ट्रे और 2 एस एस वायर ट्रे शामिल होंगी। घटकों को लगाने के लिए आवश्यक एस एस स्क्रू भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सब कार्यस्थल पर मौजूदा जगह में,	**1**	प्रत्येक		

	ड्राइंग के अनुसार और बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।				
12	16 से 18एम एम मोटाई वाला, एक तरफ मशीन से पॉलिश किया हुआ, स्वीकृत रंग का ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध कराना, लगाना और चिपकाना। सामने की ओर 15एम एम का उभार हो और 35एम एम चौड़ी (लगभग) ग्रेनाइट पट्टी से चिपका हो। मॉड्यूलर कुकिंग प्लेटफॉर्म पर हर दिशा में एक ही टुकड़े में फुल राउंड/डबल नॉसिंग पॉलिश वाला ग्रेनाइट पत्थर लगाना। इसमें स्वीकृत कंपनी का लगभग 18एम एम मोटा डब्ल्यू पी सी बोर्ड भी शामिल है, जो पत्थर के बेस के लिए है। आवश्यक चिपकने वाली सामग्री/स्क्रू से चिपकाकर ग्रेनाइट स्लैब को सही लाइन, लेवल और ढाल पर लगाना। सिलिकॉन से दरारों को सील करना। इसे निविदा आइटम नंबर 12 के अनुसार सिंक लगाने के लिए जगह बनाना और नाली/गड्ढा बनाना, साथ ही पानी न घुसे इसके लिए उपयुक्त सीलेंट/सिलिकॉन से दरारों को सील करना आदि। यह सब कार्यस्थल पर बैंक की पूरी संतुष्टि के अनुसार पूरा करना होगा। ग्रेनाइट पत्थर का बेसिक रेट = सभी टैक्स सहित ₹2360/- प्रति वर्ग मीटर (यानी गोदाम/शोरूम मूल्य)। ध्यान दें: इस आइटम के तहत सभी सब-आइटम के काम के भुगतान के लिए काउंटर/ग्रेनाइट का खुला ऊपरी/तल क्षेत्र मापा जाएगा, सिंक खोलने आदि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।	5.52	एसक्यूएम टी		
13	बैंक द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टेनलेस स्टील डबल बाउल वाला सिंक (ड्रेन बोर्ड सहित) लगभग 1370एम एम x 457एम एम (कुल साइज़) x 200एम एम बाउल की गहराई के साइज़ में उपलब्ध कराना और लगाना। इसमें 40एम एम व्यास के दो उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील वेस्ट कपलिंग, प्रत्येक सिंक में मौजूदा वेस्टवॉटर पाइपलाइन ट्रैप से जोड़ने के लिए पीवीसी वेस्ट पाइप आदि शामिल होंगे। यह सब कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार और बैंक के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा। ध्यान दें: (i) कोट किए गए रेट में सिंक और ग्रेनाइट पत्थर के जोड़ को समान रंग के पिगमेंट वाले सफेद सीमेंट से भरना, क्योरिंग और सफाई करना आदि शामिल होगा। सिंक का बेसिक रेट, जिसमें कपलिंग, वेस्ट पाइप	1	प्रत्येक		

	और अन्य फिटिंग शामिल हैं = सभी टैक्स सहित प्रति वर्ग मीटर ₹15000।				
14	12एम एम (औसत) मोटाई के सीमेंट मोर्टार 1:3 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में बैकग्राउंड प्लास्टर के ऊपर, कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार, सही लाइन, लेवल और प्लम्ब में, अनुमोदित क्वालिटी की 600एम एम x 1200एम एम या अन्य साइज़ की विट्रिफाइड टाइलें लगाना और फिक्स करना। इसमें टाइल के जोड़ों को मैचिंग पिगमेंट के साथ मिलाए गए टाइल ग्राउटिंग केमिकल से भरना, सफाई, क्यूरिंग आदि शामिल है। रेट में ईंट की दीवार तक मौजूदा फिनिश को सावधानी से हटाना, बैंक परिसर के बाहर सभी सामान और लिफ्ट के साथ मलबे का निपटान, वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि शामिल होगा, जैसा कि बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है। नोट: 1). विट्रिफाइड टाइल का बेसिक रेट = सभी टैक्स सहित ₹1000/- प्रति वर्ग मीटर (यानी, गोदाम मूल्य)। 2). कोटेड रेट में बैकग्राउंड प्लास्टर की अतिरिक्त मोटाई का खर्च भी शामिल होगा, यदि कार्यस्थल की स्थितियों के अनुसार चिकनी और सपाट सतह के लिए इसकी आवश्यकता हो।	36.27	एसक्यूएम टी		
15	कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार, सीमेंट मोटार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में 20एम एम या उससे अधिक मोटाई की बेड पर, 8-10 एम एम मोटी 600एम एम x 600एम एम या किसी अन्य साइज़ की अनुमोदित क्वालिटी की विट्रिफाइड टाइलें बिछाना। टाइल के पीछे सीमेंट स्लरी पेस्ट लगाना, सही लाइन, लेवल और ढाल में टाइलें बिछाना, टाइल जॉइंट में मैचिंग पिगमेंट के साथ टाइल ग्राउटिंग केमिकल भरना, सफाई, क्यूरिंग आदि शामिल। दर में मौजूदा फ्लोरिंग (जैसे कोटा स्टोन, मार्बल मोज़ेक, सिरेमिक टाइल आदि) को मदर स्लैब तक बेड मोटार सहित हटाने और बैंक परिसर के बाहर सभी मलबा हटाने का खर्च भी शामिल होगा। सभी काम कार्यस्थल पर बैंक की आवश्यकता और निर्देशों के अनुसार पूरे होने चाहिए। नोट: i) विट्रिफाइड टाइल का बेसिक रेट = सभी टैक्स सहित 780/- प्रति वर्ग मीटर (एक्स-	11.93	एसक्यूएम टी		

	गोडाउन प्राइस)। ii) टाइल फ्लोरिंग का काम सही लाइन, लेवल और ढाल में हो, इसके लिए कार्यस्थल की स्थितियों के अनुसार बेड मोटार की अतिरिक्त मोटाई और नुकसान की मरम्मत आदि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।				
16	8"x48" साइज़ की इंटरलॉकिंग वुडन टाइलें उपलब्ध कराना और लगाना, जिनकी मोटाई 5एम एम हो, 1एम एम की बैक कुशनिंग और 0.5एम एम की वियर लेयर हो, स्वीकृत शेड और ब्रांड की (वेलस्पन या उसके समकक्ष)। टाइलें मौजूदा टाइल फ्लोरिंग पर लगाई जाएंगी और दर में मौजूदा फ्लोरिंग में किसी भी अनियमितता को ठीक करना, वुडन टाइलें लगाने से पहले मलबे को बैंक परिसर से बाहर ले जाना, सभी उपकरण और लिफ्ट आदि शामिल होंगे, जैसा कि कार्यस्थल पर आवश्यकता हो और बैंक द्वारा निर्देशित हो। दर में वुडन टाइल फ्लोरिंग पर 5 साल की वारंटी देना भी शामिल होगा। टाइल फ्लोरिंग का काम करते समय सही लाइन, लेवल और ढाल बनाए रखने और नुकसान की मरम्मत आदि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि कार्यस्थल पर आवश्यकता हो।	104.94	एसक्यूएम टी		
17	15 एम एम व्यास वाला सी.पी. ब्रास सिंक मिक्सर (स्विंग कास्टेड स्पआउट के साथ, फ्लोर माउंटेड) उपलब्ध कराना और लगाना। अनुमोदित समकक्ष ब्रांड का होना चाहिए, जैसे हिन्ड्वेयर, जैक्कार या बैंक्स का समकक्ष ब्रांड। सिंक मिक्सर का मूल दर = सभी टैक्स सहित 3750 रुपये प्रति वर्ग मीटर (एक्स-गोडाउन मूल्य)।	1	प्रत्येक		
18	अनुमोदित कंपनी का 15 एम एम व्यास वाला सी.पी. ब्रास एंगल वाल्व और उसी गुणवत्ता का स्टेनलेस स्टील वॉल फ्लैंज उपलब्ध कराना और लगाना। बेसिक दर = सभी टैक्स सहित प्रति वर्ग मीटर ₹1000/- (एक्स-गोडाउन मूल्य)।	6	प्रत्येक		
19	बैंक द्वारा अनुमोदित ब्रांड का 15 एम एम व्यास वाला सीपी ब्रास **बिब कॉक (नोज़ल सहित)** और उसी गुणवत्ता का स्टेनलेस स्टील वॉल फ्लैंज उपलब्ध कराना और लगाना। बेसिक दर = सभी टैक्स सहित प्रति वर्ग मीटर ₹1100/- (एक्स-गोडाउन मूल्य)	3	प्रत्येक		

20	बैंक द्वारा अनुमोदित ब्रांड का 15एम एम व्यास वाला सीपी ब्रास **लॉन्ग बॉडी बिब कॉक** और स्टेनलेस स्टील का वॉल फ्लैंज (या उसके समकक्ष अनुमोदित ब्रांड का) आपूर्ति और फिट करना। बेसिक दर = सभी टैक्स सहित प्रति वर्ग मीटर ₹1500/- (एक्स-गोडाउन मूल्य)	1	प्रत्येक		
21	**100एम एम व्यास वाले वेस्ट फ्लोर/नानी ट्रैप के लिए 100एम एम व्यास की स्टेनलेस स्टील की जाली** (ग्रिल) (छेददार या बिना छेद वाली) उपलब्ध कराना और उसे सही जगह पर लगाना।	1	प्रत्येक		
22	अनुमोदित कंपनी का 15एम एम व्यास वाला क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप उपलब्ध कराना और लगाना, जो गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए थर्मल स्थिरता वाला हो (एस डी आर -11)। इसमें सभी सीपीवीसी प्लेन और ब्रास थ्रेडेड फिटिंग, कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार 1.00 मीटर की दूरी पर पाइप को क्लिप और स्क्रू से लगाना शामिल है। इसमें एक स्टेप सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट से पाइप और फिटिंग को जोड़ना, गड्ढा खोदना, भरना और जोड़ों की टेस्टिंग करना शामिल है, जो इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार होगा। इसमें मौजूदा जीआई/सीपीवीसी पाइप को हटाने और निकालने का काम भी शामिल है, जिसमें दीवारों में कटिंग करना, छिपाने का काम शुरू करने से पहले जोड़ों की टेस्टिंग करना और दीवार/फर्श से निकलने वाले सभी सतहों के लिए नई लाइन जोड़ना, जोड़ों को सील करना आदि शामिल है।	20	एमटीआर		
23	अनुमोदित कंपनी का 100एम एम व्यास वाला सी.आई. फ्लोर नहाणी ट्रैप उपलब्ध कराना और लगाना, जिसमें सीवर पाइप से आवश्यक कनेक्शन, अनुमोदित जॉइनिंग मटेरियल से जोड़ना, टेस्टिंग आदि शामिल हैं।	2	प्रत्येक		
24	आवश्यक लंबाई का 100 एम एम व्यास का अनुमोदित ब्रांड का सीआई पाइप उपलब्ध कराना और उसे सही जगह पर लगाना, जिसमें सीवेज पाइप स्टैक से आवश्यक कनेक्शन करना, अनुमोदित जॉइनिंग सामग्री का उपयोग करके मौजूदा लाइनों से जोड़ना, परीक्षण आदि शामिल हैं।	2	एमटीआर		

25	मौजूदा किचन के वेस्टवॉटर ट्रैप और ईंटों का बना बेसमेंट को सावधानी से हटाएं, सतह को वायर ब्रश से साफ करें और कचरे को बैंक परिसर से बाहर निकालें। सतह को धूल, गंदगी और ढीले मलबे से साफ करने के बाद, डूबते हिस्से पर वॉटरप्रूफ ट्रीटमेंट करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार, स्लैब पर और दीवार पर 300एम एम की ऊंचाई तक (फिनिश्ड फ्लोर लेवल से ऊपर) डॉ. फिक्सिट पीडिफिन 2K का पहला कोट रोलर या ब्रश से लगाएं। सतह को 4-6 घंटे तक सूखने दें। दूसरी परत विपरीत दिशा में लगाएं और 72 घंटे तक सूखने दें। इसमें दीवार वाले हिस्से सहित ट्रीटेड सतह पर 12एम एम मोटी सीमेंट प्लास्टर की परत लगाना भी शामिल है। प्लास्टर 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) के अनुपात में वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाकर लगाएं। डूबते हिस्से में आवश्यक मोटाई की ईंटों का बेसमेंट बनाएं। सब कुछ बताए अनुसार पूरा करें। इसके बाद 72 घंटे तक पानी जमाकर टेस्ट करें। दीवारों और स्लैब की सतह पर कोई रिसाव/नमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बताए अनुसार पूरा करें। ध्यान दें: भुगतान के लिए डूबते हिस्से का ऊपरी/प्लान एरिया मापा जाएगा।	1.2	एसक्यूएम टी		
26	क्षतिग्रस्त आरसीसी संरचनाओं की मरम्मत सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें: (क) स्लैब, बीम, कॉलम, सनशेड, छत आदि से खराब/कमज़ोर कंक्रीट को मैन्युअल छेनी या पावर वाले परकरशन उपकरण से सावधानीपूर्वक हटाना, सभी किनारों को समतल करना, खोखले हिस्सों को समतल करना, एक्सपोज़्ड कंक्रीट सतह और रिइंफोर्समेंट को वायर ब्रश से साफ करना, और इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशानुसार सभी मलबा हटाना। (ख) रिइंफोर्समेंट बार से जंग हटाने के लिए अनुमोदित ब्रांड के अल्कलाइन केमिकल रस्ट रिमूवर का उपयोग करके, पेंट ब्रश से जंग साफ करना, 24 घंटे बाद वायर ब्रश से ढीले कणों को हटाना और अच्छी तरह साफ करना, यह सब इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशानुसार पूरा करना। (ग) जंग लगे रिइंफोर्समेंट पर अनुमोदित या समकक्ष ब्रांड का निटो जिंक प्राइमर लगाना और आरसीसी के क्षतिग्रस्त हिस्से पर एसबीआर पॉलीमर (सीमेंट के वजन का 10%) से बना सीमेंट बॉन्ड कोट लगाना।	2	एसक्यूएम टी		

	यह सब इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों और स्पेसिफिकेशन के अनुसार पूरा करना है।				
	(घ) इंजीनियर-इंचार्ज द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन और निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित सतह से मेल खाते हुए 1:4 के अनुपात में एसबीआर पॉलीमर (अनुमोदित ब्रांड का) से संशोधित सीमेंट मोटार तैयार करना, मिलाना और लगाना (1 सीमेंट: 4 ग्रेड वाली मोटी रेत, जिसमें इस्तेमाल किए गए सीमेंट के वजन का कम से कम 2% पॉलीमर हो)। ध्यान दें: दर में स्कैफ़ोल्डिंग, उपकरण, कार्यस्थल की सफाई और कचरा हटाने का खर्च शामिल होगा।				
27	छत, दीवारों, खंभों आदि पर मनचाहे रंग और फिनिश में (रोलर फिनिश ही) अनुमोदित ब्रांड और शेड के **सीमेंट प्राइमर की एक परत और व्हाइट वॉल केयर सीमेंट-बेस्ड पुट्टी की एक परत के ऊपर प्रीमियम क्वालिटी के 100% एक्रिलिक इमल्शन पेंट की दो या उससे अधिक परतों को लगाना**। सतह को चिकना करने के लिए, उसे रेत-पेपर से घिसकर और अनुमोदित ब्रांड की विशेष पुट्टी या पीओपी से असमान और उभरी हुई जगहों को भरकर तैयार करना। सभी स्तरों के लिए साफ़-सफाई, बैंक परिसर से कचरा हटाने, सभी लेबर और लिफ्ट आदि का खर्च दर में शामिल है। यह सब काम बैंक के इंचार्ज इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा। ध्यान दें: माप और भुगतान के लिए, दीवार और छत का खुला और फिनिश किया हुआ सतह, जिसमें छेद भी शामिल हैं, को एक समान सतह माना जाएगा।	11.93	एसक्यूएम टी		
28	स्पेसिफिकेशन के अनुसार दरवाजों, खिड़कियों आदि के लिए **लकड़ी/कमर्शियल बोर्ड की सतहों पर, अनुमोदित ब्रांड और रंग का प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता वाला सिंथेटिक इनेमल पेंट, लकड़ी के प्राइमर, पुट्टी आदि की एक परत के ऊपर दो या अधिक कोट लगाना**। इसके लिए सतह को रेत-पेपर से तैयार करना, पुट्टी लगाना, शेड लगाना, कार्यस्थल की सफाई करना आदि कार्य कार्यस्थल पर इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशों के अनुसार पूरा करना होगा।	2.14	एसक्यूएम टी		
29	**हटाए/अलग किए गए सभी लकड़ी के प्लाईवुड, बॉक्स, बेकार सामग्री, ग्रेनाइट आदि की बची हुई सामग्री की कीमत पर छूट और उन्हें बैंक परिसर से बाहर ले जाना**। इस निविदा	**-1**	प्रत्येक		

	के सभी आइटम के तहत बैंक के इंजीनियर-इंचार्ज के निर्देशानुसार हटाए गए बेकार सामान जैसे पुराने मॉड्यूलर किचन बॉक्स, वायर वाली बास्केट, चैनल, लकड़ी की सामग्री, हार्डवेयर फिटिंग, स्टेनलेस स्टील सिंक, प्लंबिंग और सैनिटरी फिटिंग, फिक्स्चर, जीआई/सीआई पाइपलाइन। दर में सिंक, फिटिंग, ग्रेनाइट काउंटरटॉप, सभी कैबिनेट शटर और फिटिंग आदि सहित किचन काउंटर को अलग करना, स्टेनलेस स्टील बास्केट और फिटिंग, पुरानी खिड़कियां आदि शामिल होंगे, जैसा कि बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है। दर में सभी अलग की गई वस्तुओं की सफाई और स्थानीय नगर निगम नियमों के अनुसार निपटान भी शामिल होगा।				
	कुल - जीएसटी और सीपीओएच सहित				

तारीख:
स्थान: **मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**